For All Competitive Exams

Pathshala

•LIVE

RNA®

By Ankit Avasthi Sir

THE HINDU

THE TIMES OF INDIA

Hindustan Times

The Indian EXPRESS

09:00Am 09 AUGUST 2024

REAL NEWS & ANALYSIS

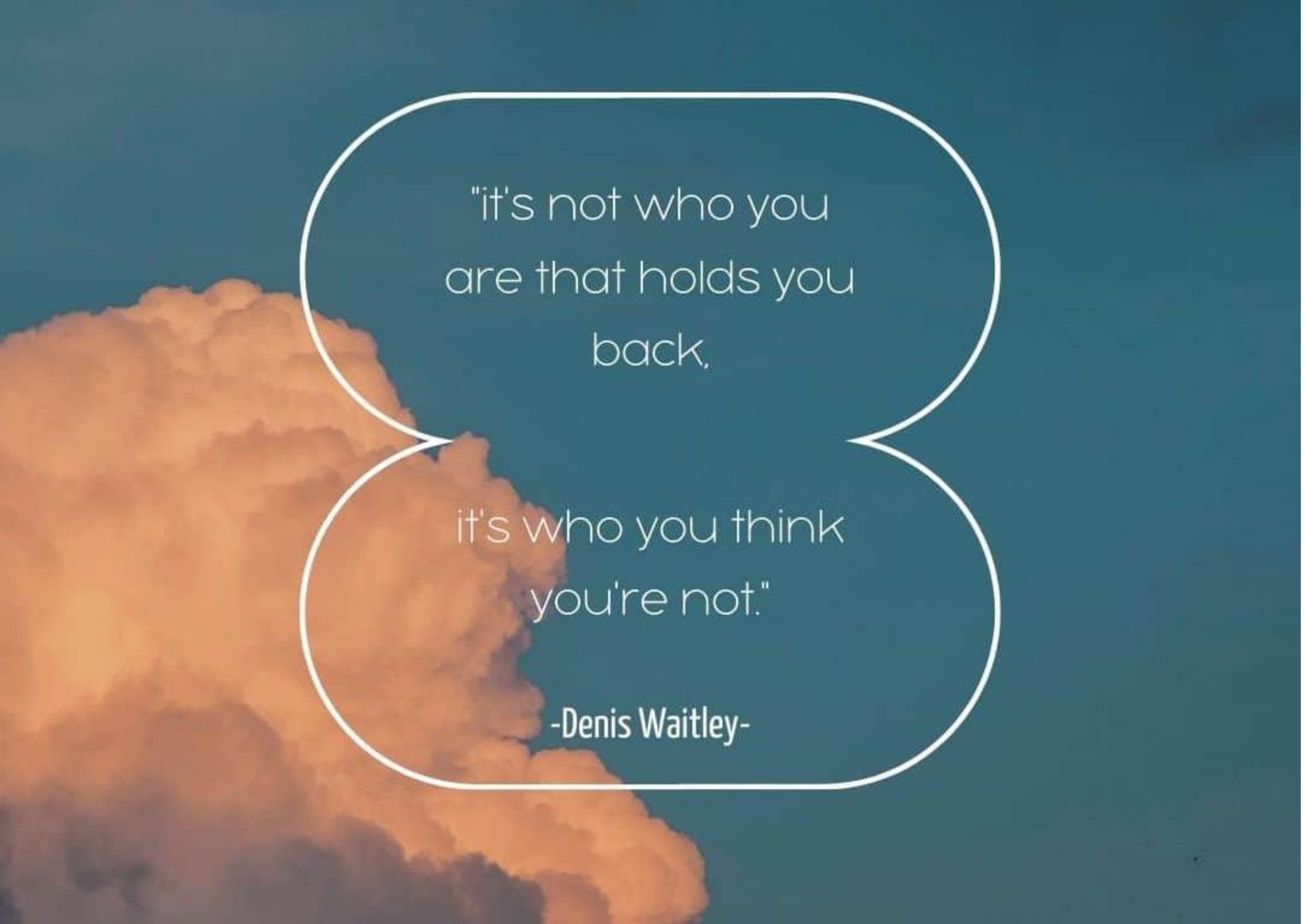
"it's not who you
are that holds you
back,
it's who you think
you're not."
-Denis Waitley-

1

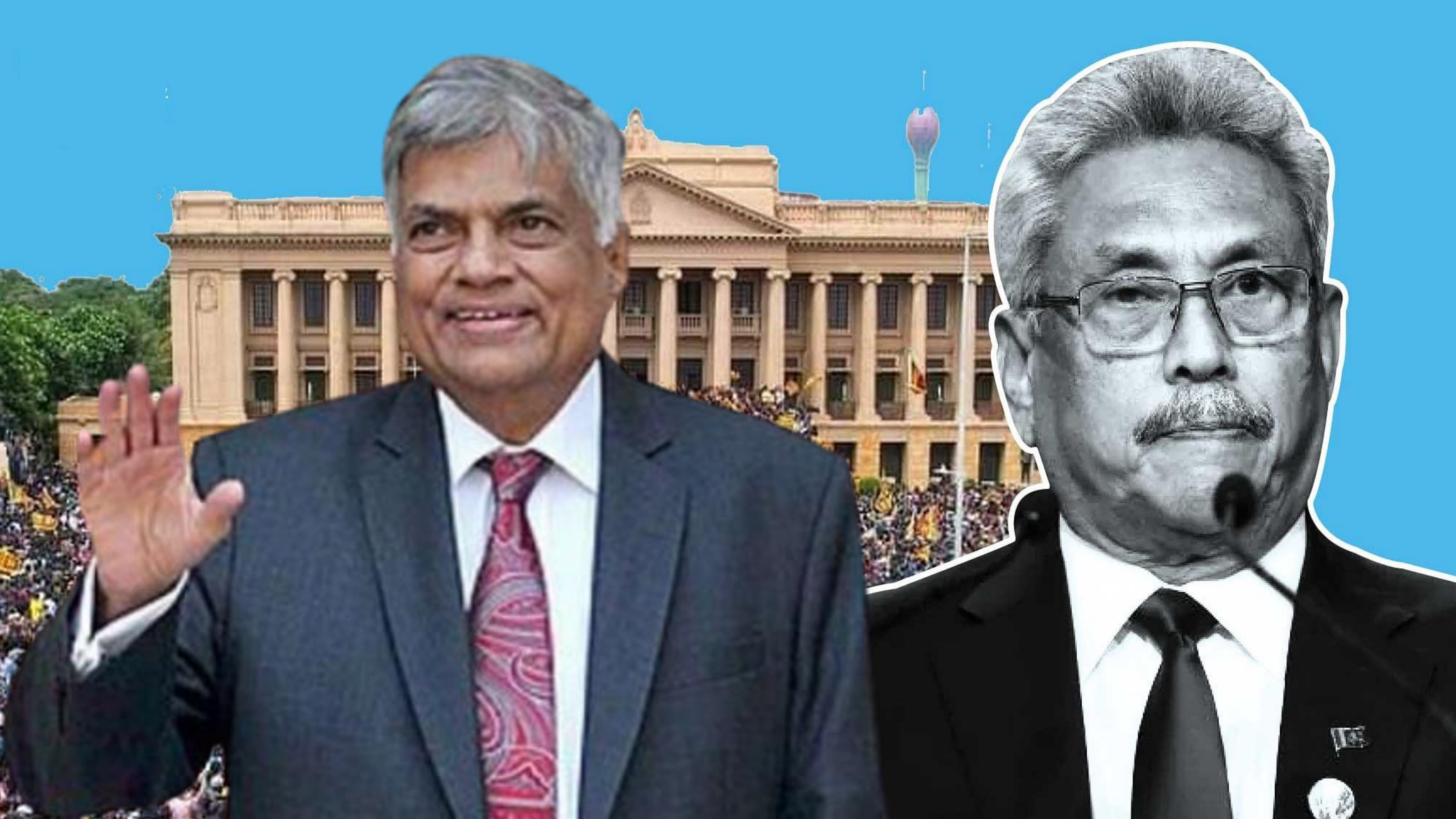

The Daily Star view on
FALL OF HASINA GOVT

LIVE
BANGLADESH: NEW INTERIM
GOVT TO BE SWORN IN

Interim Government of Bangladesh
DT
August 8th, 2024 | Thursday
Former governor of Bangladesh Bank
Dr Salehuddin Ahmed
Dhaka University Law Department Teacher
Dr Asif Nazrul
Human rights worker
Adilur Rahman
Former Election Commissioner of Bangladesh
Brig. Gen. (retired) M Sakhawat Hossain
Former Attorney General of Bangladesh and Advisor of Caretaker Government
AF Hassan Ariff
Chief Executive Officer of the election observation group "Brotee"
Sharmeen Murshid
Former Foreign Secretary
Touhid Hossain
Chief Executive of BELA and environment specialist
Syeda Rizwana Hasan
Chief Advisor
Dr Muhammad Yunus
Anti-Discrimination Student Movement Leader
Nahid Islam
Anti-Discrimination Student Movement Leader
Asif Mahmud
Visiting Senior Fellow at IMPRI
Farida Akhtar
Chairman of Chittagong Hill Tracts Development Board
Supradip Chakma
National Institute of Mental Health Director
Prof Dr Bidhan Ranjan Roy Poddar
Trustee at Grameen Telecom
Nurjahan Begum
Deobondi Islamic Scholar
Dr AFM Khalid Hossain
Freedom Fighter
Faruk-E-Azam Bir Protik

INDIA
States and Union Territories
TAJIKISTAN
AFGHANISTAN
PAKISTAN
CHINA (TIBET)
NEPAL
BHUTAN
BANGLADESH
MYANMAR (BURMA)
SRI LANKA
LADAKH
Leh
Srinagar
JAMMU & KASHMIR
Jammu
HIMACHAL PRADESH
Shimla
PUNJAB
Chandigarh
Dehradun
UTTARAKHAND
HARYANA
DELHI
New Delhi
UTTAR PRADESH
Lucknow
Jaipur
RAJASTHAN
SIKKIM
Gangtok
ARUNACHAL PRADESH
Itanagar
Dispur
ASSAM
NAGALAND
Kohima
Shillong
MEGHALAYA
Imphal
MANIPUR
Agartala
TRIPURA
Aizawl
MIZORAM
BIHAR
Patna
JHARKHAND
Ranchi
WEST BENGAL
Kolkata
Gandhinagar
GUJARAT
Bhopal
MADHYA PRADESH
Raipur
CHHATTISGARH
ODISHA
Bhubaneswar
BAY OF BENGAL
Daman
Silvassa
DAMAN & DIU
DADRA & NAGAR HAVELI
MAHARASHTRA
Mumbai
TELANGANA
Hyderabad
Amaravati
Yanam (Puducherry)
ARABIAN SEA
Panaji
GOA
ANDHRA PRADESH
KARNATAKA
Bengaluru
Chennai
Mahe (Puducherry)
PUDUCHERRY
Kavaratti
LAKSHADWEEP (INDIA)
KERALA
TAMIL NADU
Karaikal (Puducherry)
Thiruvananthapuram
Palk Strait
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS (INDIA)
Port Blair
International Boundary
State/UT Boundary
Country Capital
State/UT Capital
Map not to Scale
INDIAN OCEAN
Copyright © 2019 www.mapsofworld.com

PAKISTAN
Provinces and Capitals with Major Cities
N
E
S
W
UZBEKISTAN
TAJIKISTAN
TURKMENISTAN
CHINA
AFGHANISTAN
IRAN
INDIA
KHYBER PAKHTUNKHWA
PUNJAB
BALOCHISTAN
SINDH
ISLAMABAD
Peshawar
Lahore
Quetta
Karachi
Mingora
Mansehra
Mardan
Abbottabad
Parachinar
Kohat
Rawalpindi
Miran Shah
Kamar Mashani
Talagang
Mandi Bahauddin
Bannu
Gujrat
Sialkot
Kundian
Wana
Tank
Gujranwala
Sargodha
Dera Ismail Khan
Sheikhupura
Darazinda
Chiniot
Karor Lal Esan
Jhang
Faisalabad
Kasur
Murgha Faqirzai
Zhob
Musa Khel Bazar
Chaman
Alang
Mekhtar
Okara
Sahiwal
Ziarat
Kot Addu
Loralai
Khanewal
Harnai
Multan
Dera Ghazi Khan
Mastung
Sibi
Barkhan
Lodhran
Jampur
Essa Chah
Khaliq Abad
Mangochar
Bahawalpur
Saindak
Uch Sharif
Kirtaka
Dera Bugti
Saiyid Salar Ziarat
Kalat
Jalal Khan
Kot Mithan
Taftan
Nok Kundi
Shaikh Salar
Nasirabad
Khanpur
Kandhkot
Rahim Yar Khan
Jacobabad
Mian Sahib
Sadiqabad
Galugah
Khaji
Washuk
Basima
Khuzdar
Sukkur
Kambar
Larkana
Khairpur Mir's
Mugalgori
Gajar
Ranipur
Gowargo
Korak
Dadu
Awaran
Nawabshah
Mand
Bela
Jhal Jhao
Nazarabad
Turbat
Sakrand
Shahdadpur
Kolwa
Uthal
Tando Allahyar
Mirpur Khas
Jamshoro
Kalat
Pasni
Gwadar
Ormara
Hyderabad
Umarkot
Mithi
ASIA
PAKISTAN
Arabian Sea
LEGEND
International Boundary
Province Boundary
Country Capital
Province Capital
Major Cities
0 50 100 Miles
0 50 100 Kilometers
Copyright © 2023 www.mapsofindia.com

Top stories

News about Pakistan • Bangladesh

Sandesh

Pakistan News: બાંગ્લાદેશની બાદ પાકિસ્તાનમાં હિંસા? સેનાએ આપી ચેતવણી

3 hours ago

The Economic Times

Pakistan's Army chief warns against attempts to create Bangladesh-type chaos

2 hours ago

ABP News

Pakistan on Bangladesh: बांग्लादेश मुद्दे पर बोला पाकिस्तान तो किसने कहा- 'तु...

1 day ago

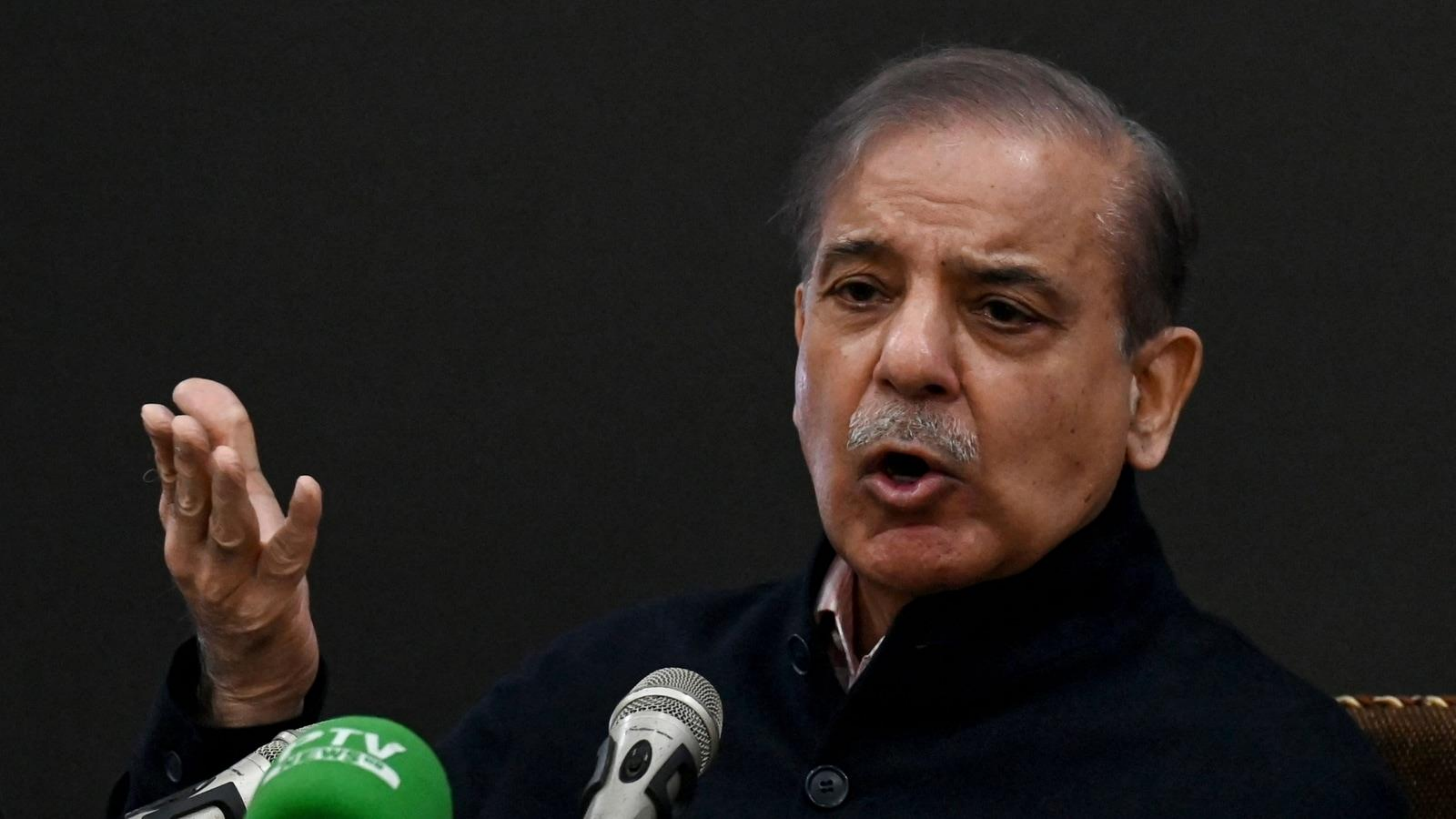
TV

क्या बांग्लादेश के बाद अब पाक सेना भी कर देगी तख्तापलट ? बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक की दुनिया भर में चर्चा हो रही है खासतौर से दक्षिण एशिया के देशों में तो काफी ज्यादा. पाकिस्तान के एक पत्रकार राजा रूमी ने स्टॉकहोल्म यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर इश्तियाक अहमद के साथ बांग्लादेश की परिस्थितियों पर बात की.

प्रोफेसर इश्तियाक अहमद को दक्षिण एशिया का पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहा जाता है.

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने नकदी की कमी से जूझ रहे देश में अराजकता पैदा करने के प्रयासों के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सशस्त्र बल अराजकता पैदा करने वाले किसी भी कदम को विफल कर देंगे और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे।

‘MILITARY COUP
POSSIBLE’ IN PAKISTAN?

Partition of India in August 1947

A

Country's development

कभी भारत का ही हिस्सा रहे पाकिस्तान (Pakistan) और बांग्लादेश (Bangladesh) ने अपनी-अपनी अर्थव्यवस्था के नए रिकॉर्ड बनाए हैं. पाकिस्तानी इकोनॉमी (Pakistan Economic Crisis) जहां बेहद खस्ता-हाल हो गई है, वहीं बांग्लादेश ने उसे इकोनॉमिक ग्रोथ में पछाड़ दिया. आज की बड़ी सच्चाई यह है कि पाकिस्तान के पास बहुत ही कम विदेशी मुद्रा भंडार बचा है.

बिजली सुविधा की बात करें तो भी उसकी हालत बांग्लादेश के मुकाबले खराब है. बांग्लादेश में 96 फीसदी घरों में बिजली है जबकि पाकिस्तान में यह 75 फीसदी है. अक्सर बातचीत में लोग बांग्लादेश की मुद्रा का जिक्र करते हैं, जिसे टका कहा जाता है. बात-बात में 'दो टके' वाला ये शब्द पाकिस्तानी रुपये की तुलना में ज्यादा भारी है.

बांग्लादेश से बड़ा होने के बावजूद पिछड़ गया पाक

पाकिस्तान बांग्लादेश से क्षेत्रफल में काफी बड़ा है, और जनसंख्या में भी वह बांग्लादेश से बड़ा है. पाकिस्तान की आबादी 225 लाख है, जबकि बांग्लादेश की आबादी 166 लाख है. मगर... ये आबादी का ज्यादा होना या क्षेत्रफल में बड़ा होना पाकिस्तान को बांग्लादेश से आगे नहीं रख पाया, बांग्लादेश ने प्रारंभ से ही भारत से रिश्ते बनाए रखे और अपना ज्यादातर व्यापार भारत से किया. वहां भारतीय कंपनियों का भी खूब निवेश पहुंचा, जबकि पाकिस्तान के मामले में यह स्थिति उलट रही.

Bangladesh's foreign trade includes exports and imports of goods and services. In 2022, Bangladesh's total exports were $64.2 billion, making it the 52nd largest exporter in the world. The country's total imports were $88.2 billion in 2022. In the first half of the 2023-24 fiscal year, exports increased by 0.84% year on year to $27.54 billion.

International Trade Portal
Foreign trade figures of Bangladesh - International Trad...

GOV.UK
Bangladesh - Trade and Investment Factsheet - GOV.UK
18 Jul 2024 — 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022....

OEC World
Bangladesh (BGD) E
Imports, and Trade F
Yearly Trade ... In 2022,
exported a total of $64

Bangladesh's main exports include: Ready-made garments, Jute, Shrimps and prawns, and Footwear.

The country's main imports include: Iron and steel, Edible oil, Fertilizers, and Petroleum products.

Bangladesh's most common export destinations are the United States, Germany, the United Kingdom, Spain, and Poland.

Pakistan's total foreign trade in 2023 was **$64,760.86 million** in July–March, which was a 7.12% increase from the same period in 2022. However, this was a 21.22% decrease from the same period in 2022 when measured in US dollars. In January–March 2023, Pakistan's total trade was $19,308.65 million, which was a 12.05% decrease from October–December 2022 and a 28.88% decrease from January–March 2022.

FOREIGN TRADE

FOREIGN TRADE - Pakistan Bureau of Statistics

TOTAL TRADE ... 5,002,134.59 million showing an increase of 2.36% over...

Pakistan's total exports in 2022 were $38.6 billion, making it the 66th largest exporter in the world. The most common destinations for Pakistan's exports are the United States, Germany, China, the United Arab Emirates, and the United Kingdom. Some of Pakistan's most recent exports include house linens, rice, non-knit men's suits, knit sweaters, and refined petroleum.

No.	Countries	Forex Reserves Including Gold (data in millions US$)	Date	Change ▲ / ▼ / —	Forex Reserves Excluding Gold (data in millions US$)	Date	Change ▲ / ▼ / —	Ref
1	China	3,582,000	1 Apr 2024	▼ 28,957	3,113,850	1 Apr 2024	▲ 4,15	[2]
2	Japan	1,827,180	5 Apr 2024	▲ 9,122	1,230,377	5 Apr 2024	▲ 4,598	[3]
3	Switzerland	795,438	28 Mar 2024	▲ 1,127	787,307	28 Mar 2024	▼ 198	[4]
4	India	667,386	26 Jul 2024	▼ 3,471	608,463	12 Jul 2024	▲ 4,254	[5]
5	Russia	606,700	26 Jul 2024	▼ 4,600	574,134	28 Jun 2024	▼ 106	[6]
78	North Korea	9,109	1 Mar 2024	▲ 73	data not available	1 Mar 2024	data not available	[80]
79	Pakistan	8,895	21 Jun 2024	▼ 239	data not available	21 Jun 2024	data data not available	[81]
83	Tanzania	7,022	22 Mar 2024	▲ 600	data not available	22 Mar 2024	data not available	[85]
84	Bangladesh	7,000	8 Aug 2024	▼	data not available	8 Aug 2024	data not available	[86]

B

Bangladesh / Gross domestic product

46,020.13 crores USD (2022)

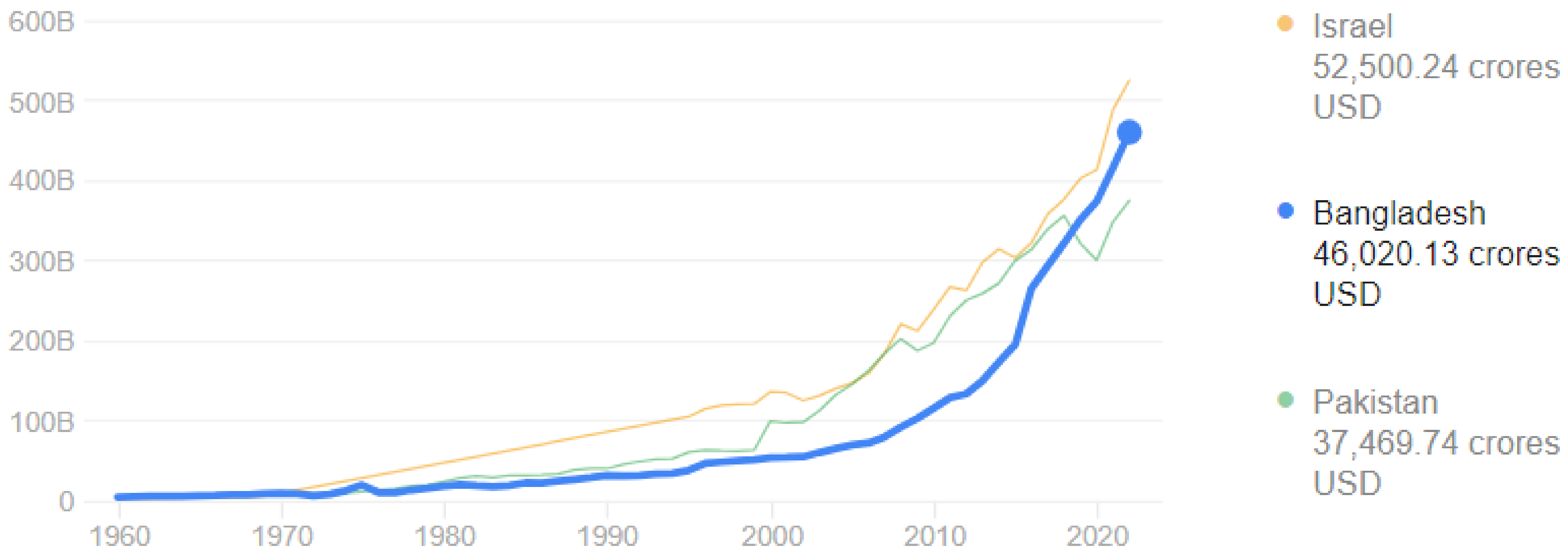

Pakistan / Gross domestic product

37,469.74 crores USD (2022)

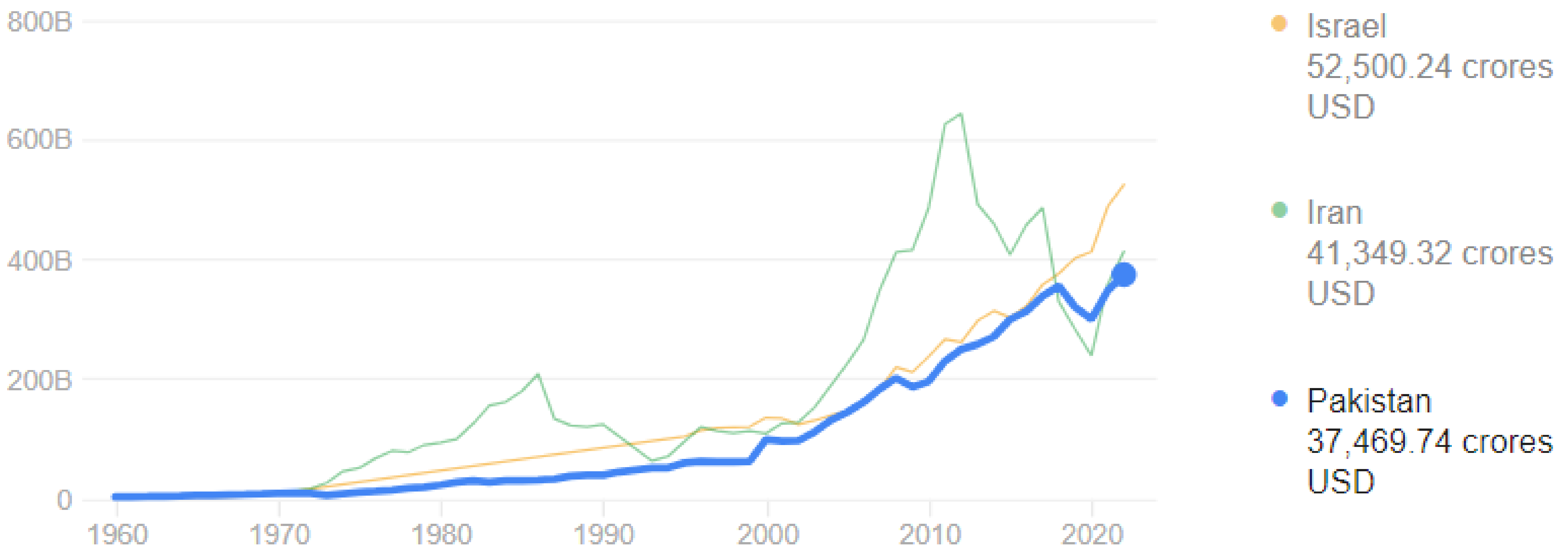

पाकिस्तान इस वक्त कंगाली की दहलीज पर खड़ा है। इस देश पर कर्ज की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब ब्याज चुकाने को भी पैसे नहीं बचे हैं। इस कारण पाकिस्तान सरकार घूम-घूमकर कर्ज देने वाले देशों से चुकाने की मियाद बढ़ाने का अनुरोध कर रही है। हालात इतने बुरे हैं कि चीन को छोड़कर कोई भी देश पाकिस्तान को नया कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से बहुत कठोर शर्तों पर नए कर्ज लिए हैं। इन शर्तों का असर पाकिस्तान की गरीब अवाम पर पड़ रहा है, जो अपने हुक्मरानों के कारस्तानियों की कीमत चुका रही है।

पाकिस्तान पर 26.2 बिलियन डॉलर का कुल बकाया

स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (SBP) के गवर्नर जमील अहमद ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए पाकिस्तान का कुल बकाया कर्ज 26.2 बिलियन डॉलर है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अपने मित्र देशों से कर्ज में कुछ राहत भी मिली है, जिससे वह अपने बाहरी कर्जों की किश्तों को अधिक प्रभावी ढंग से चुकाने की कोशिश कर रहा है। नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में उन्होंने कहा कि ये मित्र देश 16 बिलियन डॉलर से अधिक के कर्ज को चुकाने की सीमा को आगे बढ़ाएंगे। इससे पाकिस्तान के पास अगले वित्त वर्ष (30 जून, 2025) के अंत तक चुकाने के लिए केवल 10 बिलियन डॉलर रह जाएंगे।

उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2024) में, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) ने देश के बाहरी कर्ज के लिए पहले ही 1.5 बिलियन डॉलर का भुगतान कर दिया है, जबकि शेष वित्तीय वर्ष के लिए 8.5 बिलियन डॉलर शेष हैं। पिछले वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2023) में, एसबीपी ने 12.5 बिलियन डॉलर का भुगतान किया था, जबकि देश का कुल बाहरी कर्ज 130 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था।

वित्त सचिव इमदाद उल्लाह बोसल ने समिति को यह भी बताया कि पाकिस्तान को चीनी वाणिज्यिक कर्जों के 4.4 बिलियन डॉलर के रोलओवर के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से अपनी पहली किश्त मिलेगी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से कर्ज के रोलओवर में एक साल का विस्तार हासिल किया है। इस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नर ने कहा कि इन देशों से जमा राशि में से 12.3 बिलियन डॉलर चालू वित्त वर्ष में रोलओवर किए जाएंगे।

पाकिस्तान के लिए मुद्रास्फीति बनी चुनौती

पाकिस्तानी केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने स्वीकार किया कि घरेलू मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। उन्होंने अनुमान लगाया कि बजटीय उपायों और उच्च ऊर्जा कीमतों के प्रभाव के कारण मुद्रास्फीति 13.5% तक बढ़ने की उम्मीद है। गवर्नर ने आगाह किया कि गेहूं की बढ़ती कीमतें और मध्य पूर्व में संभावित संघर्ष मुद्रास्फीति के दबाव को और बढ़ा सकते हैं।

* Inflation stood at 9.72% in June and the central bank aims to bring it to 6.5% by fiscal 2025. * The country's GDP rose to 6.1% in the Jan-March quarter, according to data released in July. 11 hours ago

Reuters

https://www.reuters.com › markets › asia › troubled-ba...

Troubled Bangladesh's economy bogged down by high ...

बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के बारे में हाल के वर्षों में जो बयान आए हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं.

- **विश्व बैंक:** बांग्लादेश ने ग़रीबी को कम करने में टिकाऊ प्रगति की है. सतत आर्थिक विकास से इसमें मदद मिली है...ये तरक्की और विकास की एक प्रेरक कहानी है, जिसमें साल 2031 तक एक उच्च मध्य-आमदनी वाला देश बनने की आकांक्षा है.
- **ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन:** **बांग्लादेश हाल के वर्षों में एशिया की सबसे उल्लेखनीय और अप्रत्याशित सफलता वाली कहानियों में से एक है.**
- **बांग्लादेश सरकार:** **हम दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं. एक दशक से अधिक समय से तेज़ी से विकास करते हुए बांग्लादेश अगला एशियन टाइगर बनने की राह पर है.**

C

PAKISTAN
Provinces and Capitals
with Major Cities
N
S
E
W
UZBEKISTAN
TAJIKISTAN
TURKMENISTAN
CHINA
A F G H A N I S T A N
I N D I A
R A N
Sea
KHYBER PAKHTUNKHWA
Mingora
Mansehra
Mardan
Abbottabad
Peshawar
Parachinar
ISLAMABAD
Kohat
Rawalpindi
Miran Shah
Kamar Mashani
Talagang
Bannu
Mandi Bahauddin
Gujrat
Sialkot
Wana
Tank
Kundian
Gujranwala
Dera Ismail Khan
Sargodha
Sheikhupura
Darazinda
Chiniot
Karor Lal Esan
Lahore
Murgha Faqirzai
Zhob
Jhang
Faisalabad
Kasur
Musa Khel Bazar
Chaman
Alang
Ziarat
PUNJAB
Mekhtar
Okara
Sahiwal
Loralai
Kot Addu
Harnai
Khanewal
Multan
Mastung
Sibi
Barkhan
Dera Ghazi Khan
Essa Chah
Khaliq Abad
Mangochar
Jampur
Lodhran
Kirtaka
Bahawalpur
Uch Sharif
Kalat
Jalal Khan
Taftan
Saiyid
Salar Ziarat
Shaikh Salar
Kot Mithan
Nok Kundi
Nasirabad
Khanpur
BALOCHISTAN
Rahim Yar Khan
Jacobabad
Sadiqabad
Galugah
Washuk
Basima
Khaji
Khuzdar
Kambar
Larkana
Mugalgori
Ranipur
Gajar
SINDH
Gowargo
Korak
Dadu
Awaran
Mand
Bela
Jhal Jhao
Sakrand
Turbat
Nazarabad
Kolwa
Uthal
Mirpur Khas
Kalat
Pasni
Jamshoro
Gwadar
Ormara
Umarkot
Mithi
ASIA
PAKISTAN
0
50
100 Miles
0
50
100 Kilometers
LEGEND
International Boundary
Province Boundary
Country Capital
Province Capital
Major Cities
Copyright © 2023 www.mapsofindia.com

Top stories

YouTube · ANI News

Protest held by Baloch diaspora in Germany against Pakistan's brutality in Balochistan

VIDEO 2 days ago

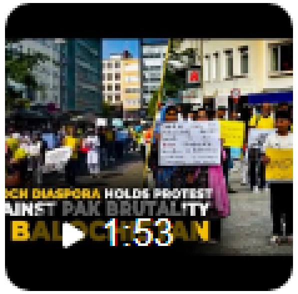

The Wire

Pakistan Imposes Severe Curbs in Balochistan to Quell Protests Against Human Rights Abuses

2 days ago

The Diplomat :: Asia

Unrest Grows in Balochistan as Protesters Assert Baloch Ownership of Gwadar

2 days ago

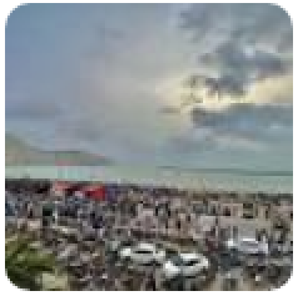

Free Press Journal
Will Balochistan Protests Disrupt China ...

Business Standard
Baloch activists stage protest again...

ThePrint
China pushes Gulf nations to depor...

OpIndia
Baloch women protest on the streets of ...

India Narrative
Baloch internationalise struggle, hold ...

Sunday Guardian
Pro-freedom Balochs campaign against

क्यों चाहते हैं आजादी

बलूचिस्तान के पास पूरे देश का 40% से ज्यादा गैस प्रोडक्शन होता है. ये सूबा कॉपर, गोल्ड से भी समृद्ध है. पाकिस्तान इसका फायदा तो लेता है, लेकिन बलूचिस्तान की इकनॉमी खराब ही रही.

बलूच लोगों की भाषा और कल्चर बाकी पाकिस्तान से अलग है. वे बलूची भाषा बोलते हैं, जबकि पाकिस्तान में उर्दू और उर्दू मिली पंजाबी चलती है. बलूचियों को डर है कि पाकिस्तान उनकी भाषा भी खत्म कर देगा, जैसी कोशिश वो बांग्लादेश के साथ कर चुका.

सबसे बड़ा प्रांत होने के बावजूद इस्लामाबाद की राजनीति और मिलिट्री में इनकी जगह नहीं के बराबर है. पाक सरकार पर बलूच ह्यूमन राइट्स को खत्म करने का आरोप लगाते रहे. बलूचिस्तान के सपोर्टर अक्सर गायब हो जाते हैं, या फिर एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल किलिंग के शिकार बनते हैं.

यहां के लोगों के लगता है कि पाकिस्तान उनकी खनिज संपदा का तो इस्तेमाल कर रहा है, मगर इसका फायदा उन्हें नहीं मिल रहा है. इस वजह से यहां कई सारे मिलिशिया संगठन भी हैं, जो पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स और सेना पर हमला करते रहते हैं. हालांकि, अभी कोई भी ऐसा मिलिशिया संगठन नहीं है, जो सीधे तौर पर सेना को चुनौती देकर बलूचिस्तान को अलग कर पाए. यही वजह है कि अभी बलूचिस्तान का पाकिस्तान से टूटना मुश्किल नजर आता है.

In February 2014, a group of TTP terrorists under the lead of Maulana Umar Qasmi broke away from the organization to form the Ahrar-ul-Hind, in protest against the TTP's negotiations with the Pakistan government.

Wikipedia
https://en.wikipedia.org › wiki › Pakistani_Taliban

Pakistani Taliban - Wikipedia

D

In shock result, allies of jailed ex-leader Khan win most seats in Pakistan election

By Sophia Saifi and David Shortell, CNN

6 minute read · Updated 8:29 AM EST, Sat February 10, 2024

ALLEGATIONS OF
RIGGING IN PAK POLLS

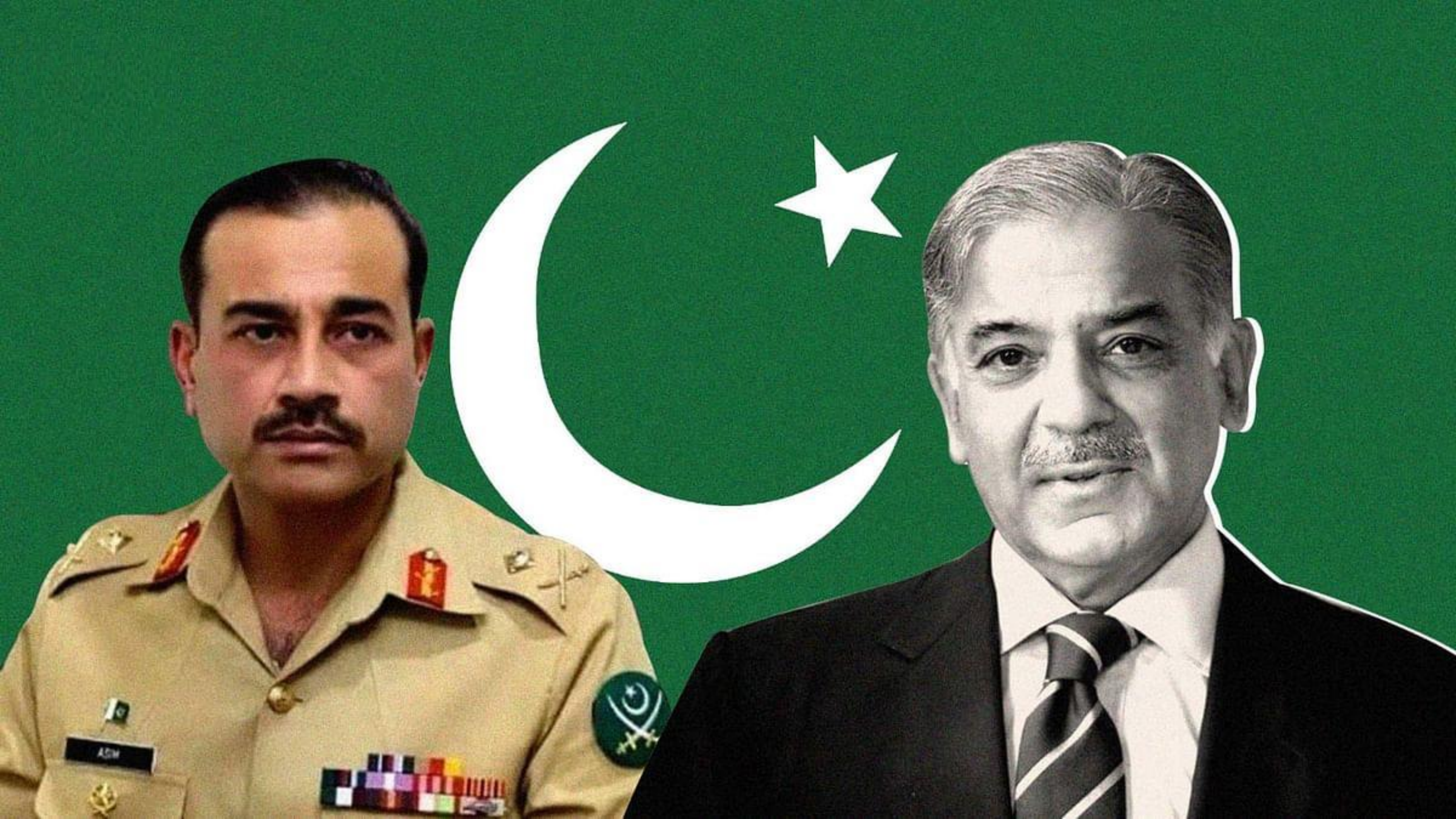
ASIM

Afzal Warraich
@afzalW_

🚨🚨#BREAKING
🚨🚨#Pakistan #BangladeshModel

➡️ Students in Pakistan have launched Protest Movement demanding:

✅ Restoration of Constitutional Order
✅ Release of all political Prisoners &
✅ Former Prime Minister Imran Khan

> **Salman Ahmad** @sufisal · 1h
> The Students have spoken to release @ImranKhanPTI NOW!

Last edited 2:24 AM · Aug 9, 2024 · **107** Views

Salman Ahmad

@sufisal

JUNOON m.youtube.com/watch?v=-8anr6... poet,professor, peace activist,artist,author,axe-man , music.apple.com/us/artist/juno...

Land of the Sufis · ssgwi.org · Joined February 2009

376 Following **260.1K** Followers

Salman Ahmad

@sufisal

JUNOON m.youtube.com/watch?v=-8anr6... poet,professor, peace activist,artist,author,axe-man , music.apple.com/us/artist/juno...

Land of the Sufis   ssgwi.org   Joined February 2009

376 Following   **260.1K** Followers

Salman Ahmad
@sufisal

Subscribe ···

میرا کوئی پیسہ باہر نہیں پڑا نہ کوئی جائیداد،میں نے اپنے سارے کیسز لڑے ہیں، مزید
بھی لڑوں گا،مجھ پر اور میری اہلیہ پر کیسز کرنے کا مقصد پی ٹی آئی کو توڑنا تھا.
عمران خان

#خان_کیوں_ضروری_ہے

Translated from Urdu by Google

I don't have any money or property, I have fought all my cases, I will fight more, the purpose of filing cases on me and my wife was to break PTI.
Imran Khan

#خان_کیوں_ضروری_ہے

Pakistan

Army vows not to let anyone 'create anarchy' in Pakistan

"Anarchy is spread through social media," says COAS Gen Munir while advising people to remain peaceful during protests

By **Web Desk** | August 08, 2024

Jamaat-e-Islami 'defers' protest sit-in after successful negotiations with govt

Khawaja Asif hails change in Bangladesh as 'end to India-backed govt'

PML-N's Siddiqui resigns from Senate committee over 'inappropriate behaviour' of...

Imam Masjid Al-Nabawi visits Islamabad, reaffirms strong Pak-Saudi ties

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने नकदी की कमी से जूझ रहे देश में अराजकता पैदा करने के प्रयासों के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सशस्त्र बल अराजकता पैदा करने वाले किसी भी कदम को विफल कर देंगे और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर कई चिढ़ाने वाले कमेंट्स के बाद आया है, जिसमें पाकिस्तान के हालात की तुलना बांग्लादेश से की गई है। बांग्लादेश में एक हिंसक विद्रोह ने 15 साल से सत्ता पर काबिज शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंका, जिन्होंने इसी साल जनवरी में चुनावों में भारी जीत दर्ज की थी।

सेना प्रमुख ने शांति और स्थिरता का दावा किया

पाकिस्तानी सेना के प्रॉपगैंडा विंग इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने जनरल मुनीर के हवाले से कहा, "अगर कोई पाकिस्तान में अराजकता पैदा करने की कोशिश करता है, तो अल्लाह की कसम, हम उसके सामने खड़े होंगे। दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि यह देश लंबे समय तक चलने के लिए बना है।" इस्लामाबाद में इस्लामी मौलवियों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने देश में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सेना के समर्पण को दोहराया।

इस्लामी शरिया और संविधान का राग

जनरल मुनीर ने मौलवियों और विद्वानों से चरमपंथ या भेदभाव के बजाय समाज में सहिष्णुता और एकता को प्रोत्साहित करने के लिए कहा। मुनीर ने कहा कि उन्हें "समाज में संयम वापस लाना चाहिए और दुनिया में भ्रष्टाचार को खारिज करना चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया देश में "अराजकता" फैला रहा है।

जनरल मुनीर ने इस्लामी शरिया और संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने का संकल्प लिया। उन्होंने चरमपंथ की भी आलोचना की और इस्लामी शिक्षा को दोहराया कि "धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है।" उन्होंने आपराधिक माफियाओं के आतंकवाद का समर्थन करने की निंदा की।

EVEN WHEN TH
SUPPORT INDE

WORLD NEWS

Thousands of supporters of Pakistan's imprisoned ex-Prime Minister Khan rally to demand his release

GOOD NEWS!

NCERT
LIMITED OFFER
REGISTRATION START
Pathshala
NCERT
FOUNDATION BATCH 2
शुरू होने जा रही है
OFFER
FEE
4999 Rs
WORLD MAPPING
(1-10 August)
FOR UPSC & VARIOUS STATE PSC EXAM
BY ANKIT AVASTHI SIR

NCERT
NCERT
FOUNDATION BATCH
REOPEN
OFFER
FEE
4999 Rs
Pathshala
LIMITED OFFER
REGISTRATION START
1.SUBJECTS TO BE TAUGHT (NCERTS FROM CLASS 6TH-12TH)
2.SUBJECTS: GEOGRAPHY, POLITY, HISTORY, INDIAN ECONOMY,
3. LIVE LECTURES DELIVERED IN HINGLISH LANGUAGE BY ANKIT AVASTHI SIR.
4.SPECIAL EMPHASIS ON CONCEPTUAL CLARITY IN CLASSES.
5.ALIGNMENT WITH UPSC AND STATE PSC PATTERN:
6.UNIT WISE WEEKLY TESTS THROUGH UNIQUE WORK BOOK STYLE
BY ANKIT AVASTHI SIR
FOR UPSC & VARIOUS STATE PSC EXAM

Apni Pathshala
LAUNCHING
TEST
UP PSC
TEST SERIES
299/- ONE YEAR
EXAM DATE
27th October 2024
By Ankit Avasthi Sir

TEST

UP PSC
TEST SERIES

299/- ONE YEAR

Features

- 35+ Mock Test
- 180+ Topic wise test
- 40+ PYQ’s
- 60 + Current Affairs

By Ankit Avasthi Sir

Apni
Pathshala
LAUNCHING
TEST
BPSC
TEST SERIES
299/- ONE YEAR
• 50+ Mock Test
• 10+ Topic wise test
• 30+ PYQ's
• 65 + Current Affairs
Buy Now!
By Ankit Avasthi Sir

Apni Pathshala
LAUNCHING
TEST
RO/ARO
TEST SERIES
299/- ONE YEAR
• 30+ Mock Test
• 13+ Sectional test
• 8+ PYQ's
• 60 + Current Affairs
Buy Now!
By Ankit Avasthi Sir

Apni Pathshala

UP POLICE बनने का सपना होगा साकार !

Test Series

UP POLICE EXAM

PRICE 99/- One Year

VACANCY: 60,244
EXAM. DATE : 23RD AUGUST
24TH AUGUST, 25TH AUGUST,
30TH AUGUST, 31ST AUGUST

By Ankit Avasthi Sir

Apni
Pathshala
UP POLICE बनने का सपना होगा साकार !
NEW
LAUNCHING
Test Series
UP POLICE EXAM
FEATURES
20 Mock Test
8+ PYQ's
21 Sectional Test
65+ Current Affairs Test
10 Practice Test
25+ Topic Wise Test
BUY NOW!
99/-
for ONE YEAR
By Ankit Avasthi Sir

Student
Success Story

Rahul yadav

★★★★★

CALL CENTRE

HOW MAY I HELP YOU

7878158882

AnkitInspiresIndia

Download "Apni Pathshsla" app now!

Follow us:

2

پردیش وقف
WAQF BOARD

क्या भारत में सबसे अधिक जमीन के मालिकों में से एक WAQF Board हो जायेगा खत्म? जानिए क्या है माम...

3.3M views • Streamed 7 months ago

Ankit Inspires India 4.11M subscribers

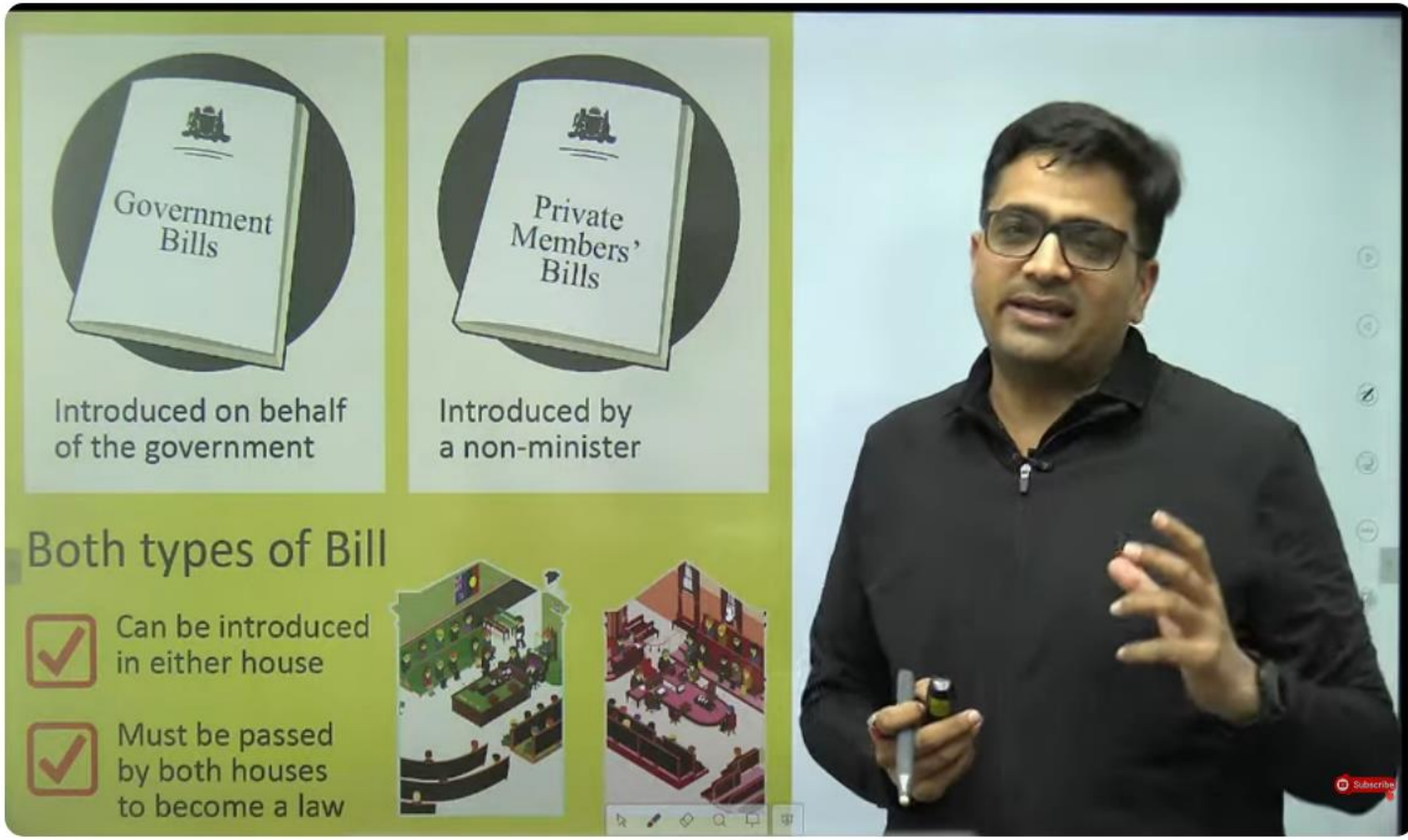

क्या भारत में सबसे अधिक जमीन के मालिकों में से एक WAQF Board हो जायेगा खत्म? जानिए क्या है मामला ?

Ankit Ins... 4.11M... Join Subscribed 181K Share Download

3.3M views Streamed 7 months ago #waqfboard #AnkitSir #waqf_board

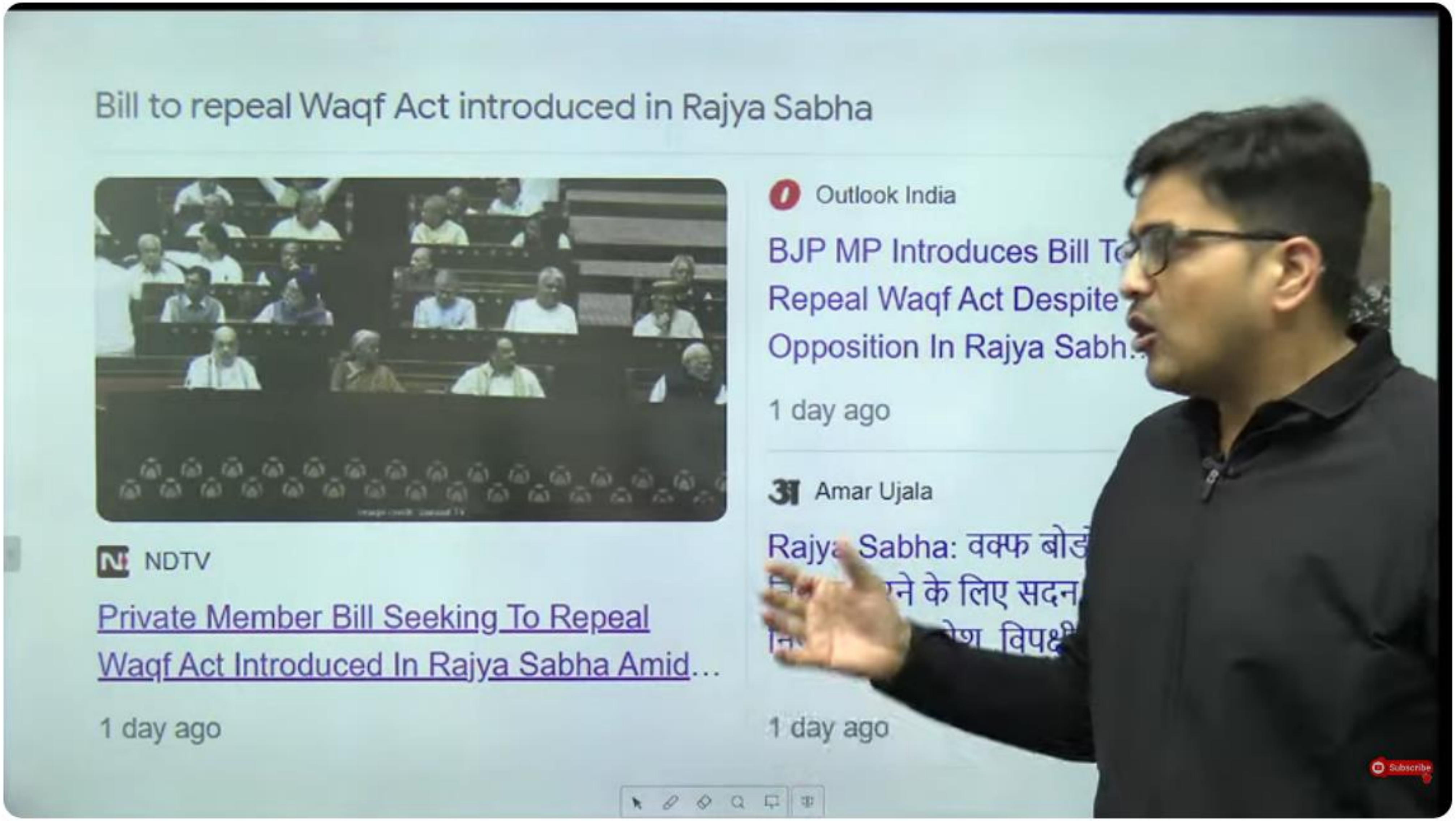

क्या भारत में सबसे अधिक जमीन के मालिकों में से एक WAQF Board हो जायेगा खत्म? जानिए क्या है मामला ?

Ankit Ins... 4.11M... Join | Subscribed | 181K | Share | Download | ...

3.3M views Streamed 7 months ago #waqfboard #AnkitSir #waqf_board

اترپردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ
उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड
वक्फ एक्ट
पर बड़ा दांव

Top stories

Waqf Amendment Bill in Lok Sabha >

Live Law

Waqf (Amendment) Bill 2024 Sent To Joint Parliamentary Committee: Proposed…

14 hours ago

The Indian Express

Waqf (Amendment) Bill referred to joint House panel after Opposition digs in…

14 hours ago

NDTV

"No Interference In Any Religious Body": Kiren Rijiju Defends Waqf Bill

13 hours ago

News about वक्फ

Business Today

'Entire Surat Municipal Corporation HQ is declared Waqf property, how can th…

10 hours ago

The Economic Times

Waqf through the ages: How Rs 1-lakh crore property owner board acquires lan…

18 hours ago

आज संसद के मानसून सत्र का 15वां दिन है। गुरुवार को लोकसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ कानून (संशोधन) बिल पेश किया था, जिसे केंद्र सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया। इस बिल का कांग्रेस, सपा, NCP (शरद पवार), AIMIM, TMC, CPI (M), IUML, DMK, RSP ने विरोध किया था।

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल राव ने कहा- सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इस बिल को लाकर आप (केंद्र सरकार) देश को जोड़ने का नहीं, बल्कि बांटने का काम कर रहे हैं। यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं।

रिजीजू ने कहा कि कई विपक्षी सांसद इस बिल के सपोर्ट में हैं। अलग अलग आते हैं और सपोर्ट करते हैं, लेकिन पार्टी के कारण नही बोल सकते। इस पर अमित शाह ने बीच में बोला कि सांसदों का नाम नहीं बताना... जिस पर सभी हंस पड़े।

संसद में एक नया विधेयक लाया गया है जो 1995 के वक्फ कानून में बदलाव करेगा। इसका मकसद वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाना और महिलाओं को इन बोर्ड में शामिल करना है। सरकार के अनुसार मुस्लिम समुदाय के भीतर से उठ रही मांगों को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है।

हाल ही में कैबिनेट की ओर से समीक्षा किए गए इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा वक्फ अधिनियम के कई खंडों को रद्द करना है। ये रद्दीकरण मुख्य रूप से वक्फ बोर्डों के मनमाने अधिकार को कम करने के उद्देश्य से हैं, जो वर्तमान में उन्हें अनिवार्य सत्यापन के बिना किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करने की अनुमति देता है।

پردیش وقف
WAQF BOARD

क्या है वक्फ ?

वरिष्ठ पत्रकार शाजेब जिलानी के मुताबिक वक्फ शब्द का अर्थ किसी भी धार्मिक काम के लिए किया गया कोई भी दान होता है. यह दान पैसे, संपत्ति या काम का हो सकता है. कानूनी शब्दावली में बात करें तो इस्लाम को मानने वाले किसी इंसान का धर्म के लिए किया गया किसी भी तरह का दान वक्फ कहलाता है. इस दान को धार्मिक और पवित्र माना जाता है.

इसके अलावा अगर किसी संपत्ति को लंबे समय तक धर्म के काम में इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसे भी वक्फ माना जा सकता है. वक्फ शब्द का इस्तेमाल अधिकतर इस्लाम से जुड़ी हुए शैक्षणिक संस्थान, कब्रिस्तान, मस्जिद और धर्मशालाओं के लिए भी किया जाता है. अगर कोई एक बार किसी संपत्ति को वक्फ कर देता है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है. एक गैर मुस्लिम भी वक्फ कर सकता है लेकिन उसकी इस्लाम में आस्था होना जरूरी है. साथ ही वक्फ करने का उद्देश्य भी इस्लामिक होना चाहिए.

क्या-क्या कर सकते है वक़्फ़ में दान

इस्लाम के अंतर्गत कोई भी मुस्लिम व्यक्ति वक़्फ़ कर सकता है। इसके अंतर्गत मुस्लिम व्यक्तियों को अपनी निम्न सम्पतियों को धर्मार्थ कार्यों हेतु दान देने का प्रावधान किया गया है :-

- **चल-सम्पति-** वक़्फ़ के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी चल सम्पति जैसे की धन, कंपनी के शेयर या इसी प्रकार की किसी चल सम्पति को दान दे सकता है।
- **अचल-सम्पति** – वक़्फ़ के अंतर्गत सभी मुस्लिम व्यक्तियों को अपनी अचल सम्पति जैसे की अपनी भूमि, घर, बिल्डिंग, जमीन या इसी प्रकार की अचल सम्पतियों को दान करने का प्रावधान भी किया गया है।
- **अन्य** – वक़्फ़ के अंतर्गत सभी मुस्लिमों को अपने द्वारा उपयोग की गयी अन्य प्रकार की वस्तुओं को भी वक़्फ़ के अंतर्गत दान करने की सुविधा प्रदान की गयी है जैसे की कोई व्यक्ति अपनी पुस्तकें दान कर सकता है जिससे की अधिकतर लोग इसका लाभ ले सके। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अपने द्वारा उपयोग किए गए किसी वाहन को सामाजिक कार्यों के उपयोग के लिए दान दे सकता है।

वक़्फ़ के अंतर्गत दान दी गयी सभी प्रकार की वस्तुओ को लोक-हितकारी कार्यो के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक भूमि पर चिकित्सालय, विद्यालय या अन्य उपयोगी भवनों का निर्माण किया जा सकता है। इसी प्रकार से अन्य सम्पतियों को भी मानवता के कार्यो के लिए उपयोग किया जाता है।

कैसे काम करता है वक्फ बोर्ड?

वक्फ बोर्ड देशभर में जहां भी कब्रिस्तान की घेरेबंदी करवाता है, उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। इन मजारों और आसपास की जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है। चूंकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं, बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए कि कैसे उसकी जमीन वक्फ की नहीं है।

1995 का कानून यह जरूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है? अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना है। सारे कागज और सबूत उसे देने हैं जो अब तक दावेदार रहा है। कौन नहीं जानता है कि कई परिवारों के पास जमीन का पुख्ता कागज नहीं होता है। वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज नहीं देना है।

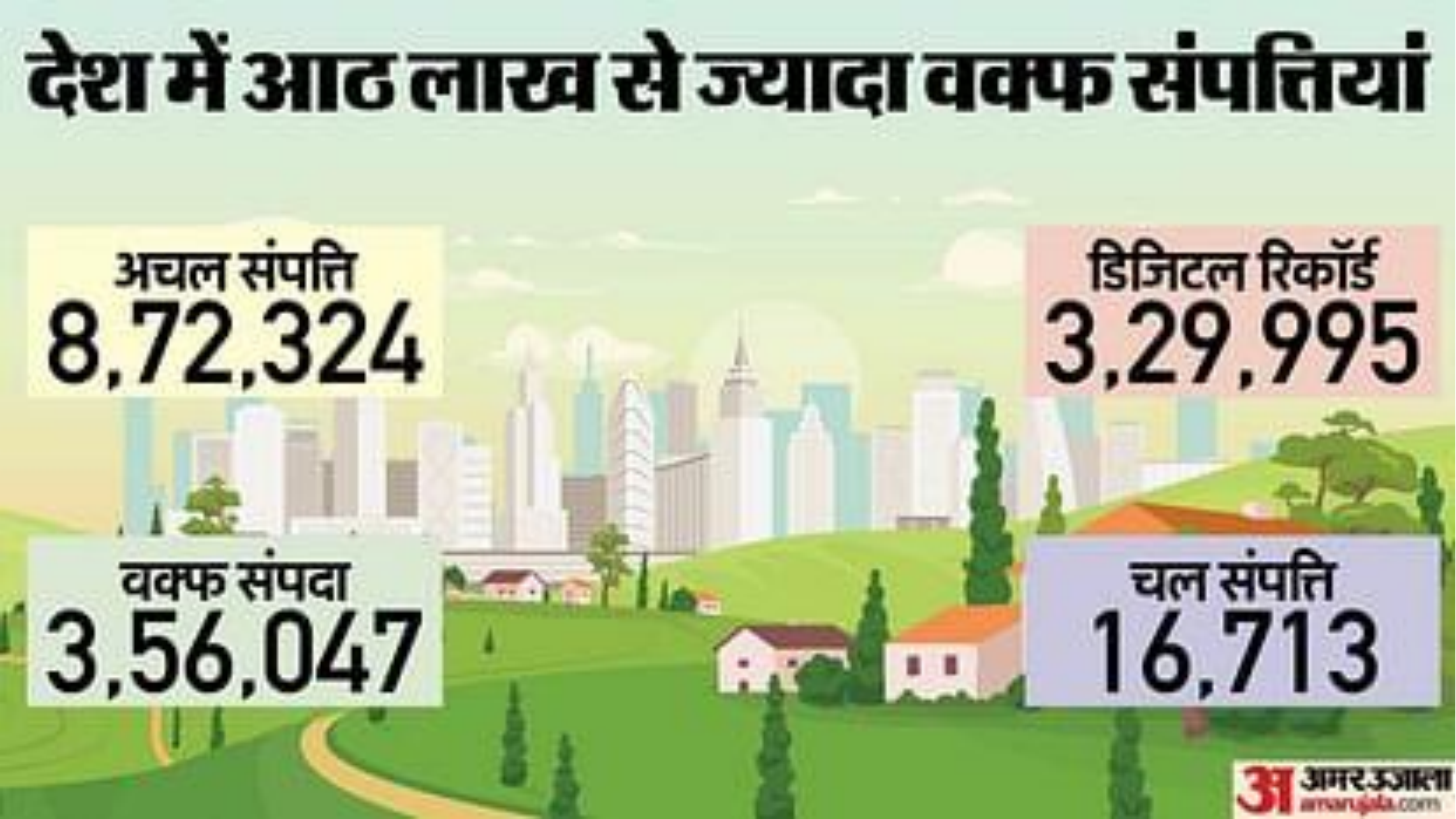
देश में आठ लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां
अचल संपत्ति
8,72,324
डिजिटल रिकॉर्ड
3,29,995
वक्फ संपदा
3,56,047
चल संपत्ति
16,713
अमर उजाला
amarujala.com

देश में एक सेंट्रल और 32 स्टेट वक्फ बोर्ड हैं

देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 32 स्टेट बोर्ड हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। अब तक की सरकारों में वक्फ बोर्ड अनुदान दिया जाता रहा है। मोदी सरकार में भी वक्फ को लेकर उदारता दिखाई गई। सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नियम बनाया कि अगर वक्फ की जमीन पर स्कूल, अस्पताल आदि बनते हैं तो पूरा खर्च सरकार का होगा। यह तब हुआ जब मुख्तार अब्बास नकवी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे।

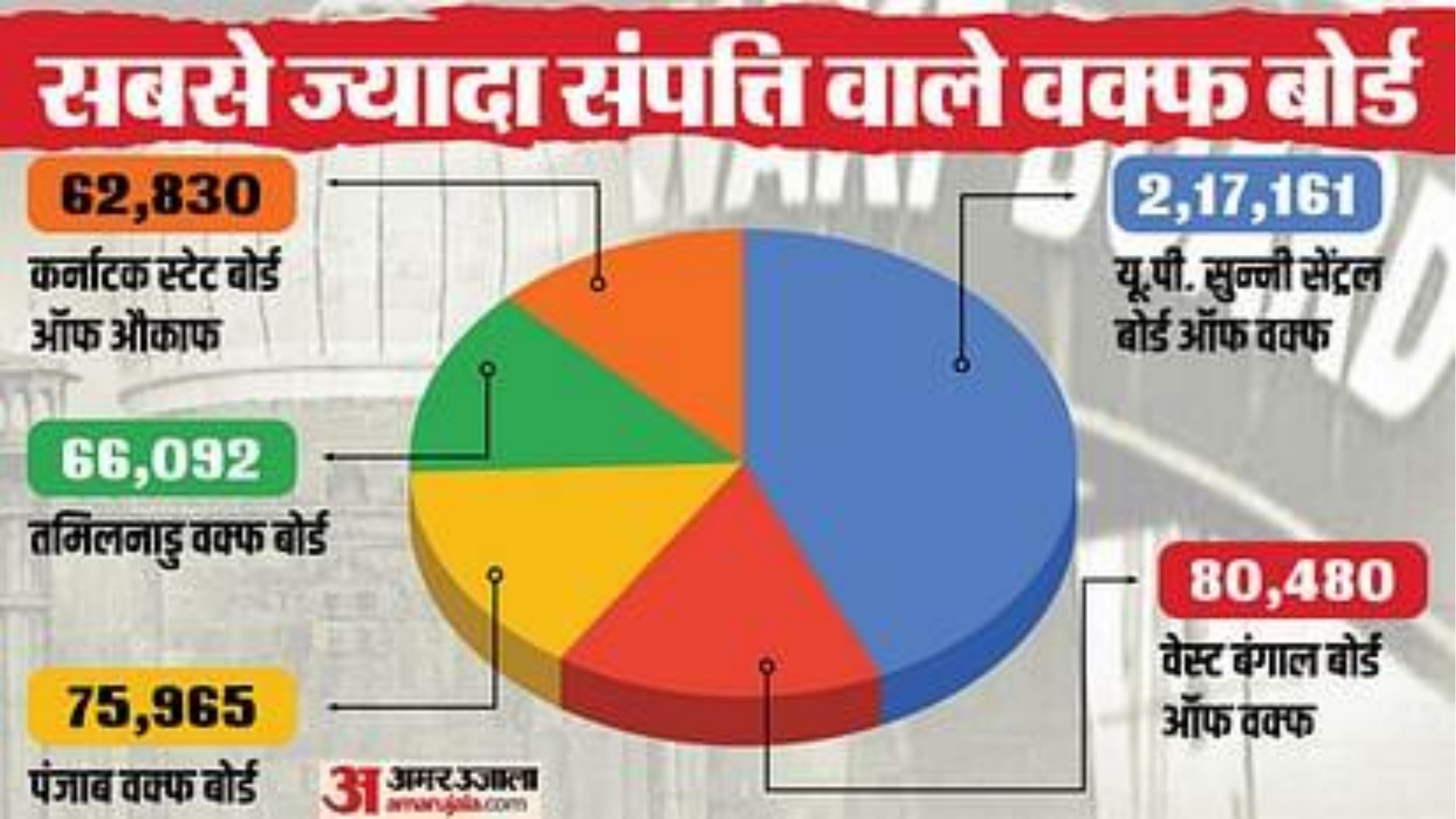
सबसे ज्यादा संपत्ति वाले वक्फ बोर्ड
62,830
कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ
2,17,161
यू.पी. सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ
66,092
तमिलनाडु वक्फ बोर्ड
80,480
वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ वक्फ
75,965
पंजाब वक्फ बोर्ड
अमर उजाला
amarujala.com

HISTORY

In this way, waqf is considered a form of religious charity that allows individuals to contribute to the welfare of society and earn spiritual rewards. Waqf properties are managed by a waqf board, which is responsible for ensuring that the income generated by the property is used in accordance with the wishes of the waqif and Islamic principles.

The concept of waqf has its roots in early Islamic history, with the practice established during the time of Prophet Muhammad(570 ई - 8 जून 632 ई इस्लाम के संस्थापक थें।). During the Islamic Golden Age, waqf institutions played a critical role in the development of Islamic scholarship and education. Many of the world's oldest universities, such as Al-Azhar University in Cairo (Egypt) and the University of Al Quaraouiyine in Fez (Morocco), were founded as waqf institutions.

वक़्फ़ का इतिहास क्या है ?

दुनिया में वक़्फ़ का इतिहास पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद के ज़माने से शुरू हुआ है. पैग़म्बर मुहम्मद ने कहा था, 'अपनी जायदाद को इस तरह ख़ैरात में दो कि न वो बेची जा सके, न ही किसी को दिया जा सके और न उसमें विरासत जारी हो, बल्कि उसका मुनाफ़ा लोगों को मिला करे.' माना जाता है कि इस दुनिया में पहली बार सहाबा हज़रत उमर ने अपनी क़ीमती ज़मीन वक़्फ़ की थी. उस समय पैग़म्बर ने यह तय कर दिया कि ये ज़मीन कभी बेची न जाए, न किसी को दिया जाए बल्कि इससे होने वाली आमदनी को गरीबों में बांटने और ग़ुलामों को आज़ाद कराने के लिए इस्तेमाल किया जाए.

स्पष्ट रहे कि वक़्फ़ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिसे इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति अल्लाह के नाम पर या धार्मिक मक़सद या परोपकार के मक़सद से दान कर सकता है. ये संपत्ति भलाई के मक़सद से समाज के लिए दी जाती हैं और अल्लाह के सिवा कोई उसका मालिक नहीं होता और ना हो सकता है.

हज़रत उमर इब्न अल-खत्ताब (586–590 – 644), हज़रत मुहम्मद साहब के चार प्रमुख सहाबा (साथियों) में से एक थे. हज़रत अबू बक्र के बाद, वे मुसलमानों के दूसरे खलीफ़ा चुने गए. इतिहासकार उन्हें इतिहास के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मुस्लिम ख़लीफ़ाओं में से एक मानते हैं. सुन्नी इस्लामी परंपरा में उन्हें एक महान न्यायप्रिय शासक और इस्लामी गुणों के प्रतिमान के रूप में सम्मानित किया जाता है.

उमर - विकिपीडिया
Translated — उमर को आमतौर पर इतिहासकार...
en.wikipedia.org

हज़रत उमर के बारे में कुछ और बातें:

- उनका पूरा नाम उमर इब्न अल-खत्ताब इब्न नुफैल इब्न अब्दुल-उज्जा है.
- उन्हें अबू हाफ़्स के नाम से भी जाना जाता था.
- उन्हें अल फ़ारूक (मानदंड) का उपनाम मिला क्योंकि उन्होंने मक्का में खुलेआम अपना इस्लाम दिखाया था.
- उनकी बनाई हुई शासन व्यवस्था आज भी दुनिया के 245 देशों में किसी न किसी रूप में मौजूद है.

भारत में वक़्फ़ की ज़मीन का इतिहास कितना पुराना है?

भारत में इस्लाम की आमद के साथ ही यहां मुसलमानों ने अपनी संपत्ति वक़्फ़ करनी शुरू कर दी थी, लेकिन माना जाता है कि ख़ास तौर पर मुग़लकाल में फ़िरोज़ शाह तुग़लक़ के ज़माने में लोगों के ज़रिए किए गए वक़्फ़ को व्यवस्थित करने का काम किया गया. इन्हीं के दौर में भारत में भी बज़ाब्ता (नियम या विधान के अनुसार; ज़ाब्ते के साथ) तौर पर वक़्फ़नामा बनाने का सिलसिला शुरू हुआ. कहा जाता है कि फ़िरोज़ शाह तुग़लक़ ने अपने दौर-ए-हुकूमत में शिफ़ाखाना खोला, वहां हकीम व डॉक्टर बहाल किए गए. दवा की व्यवस्था की गई.

तब लोगों ने इस शिफ़ाखाना के लिए लिखित तौर पर अपनी ज़मीने वक़्फ़ की थीं, ताकि इन शिफ़ाखाना में हर किसी का मुफ़्त इलाज हो सके. इसी दौर में दिल्ली में 'मदरसा फ़िरोज़शाही' खोला गया, जो अपने दौर सबसे बेहतरीन मदरसा माना जाता है. इसके लिए भी कुछ वक़्फ़ क़ायम किए गए थे ताकि इसकी आमदनी से इस मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों की देखभाल और खाना-पानी हो सके.

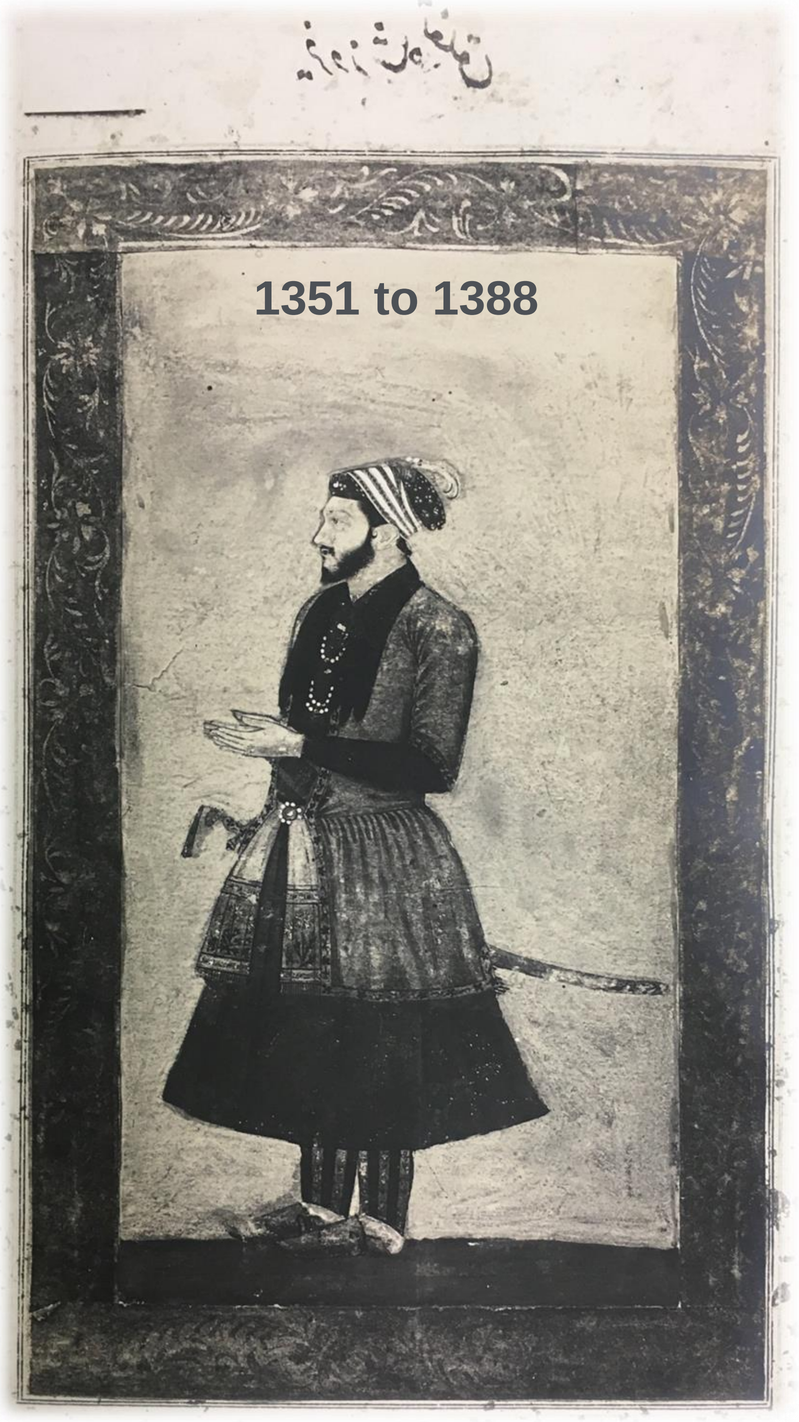

बादशाह जलालुद्दीन अकबर के ज़माने में वक़्फ़ सिस्टम और बेहतर करने की कोशिश हुई. वक़्फ़ के तहत मौजूद ज़मीनों की देख-रेख पर खास ध्यान दिया गया.

इनके दौर में भी वक़्फ़ क़ायम किए गए और वक्फ़ की गई ज़मीनों पर काफ़ी आलीशान इमारतें बनीं. इस तरह से इस पूरे दौर वक़्फ़ का सिस्टम बेहतर होता गया और मुल्क में वक़्फ़ क़ायम होती रहीं.

अंग्रेज़ों में दौर में मुसलमानों ने अपनी ज़मीनें वक्फ़ करनी नहीं छोड़ीं. जहां एक तरफ़ इन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी ज़िन्दगी वक़्फ़ कर रखी थी, वही दूसरी तरफ़ देश के कल्याण और अंग्रेज़ों से मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी जायदादें भी वक़्फ़ कीं.

गांधी के असहयोग आंदोलन के दौर में मुसलमानों के ज़रिए वक़्फ़ की गई ज़मीनों पर अनगिनत स्कूल, कॉलेज और संस्थान खोले गए.

देश के युवाओं की बेहतर शिक्षा व प्रशिक्षण और धार्मिक जागरूकता के लिए मस्जिदों व मदरसों की स्थापना के साथ-साथ मुसलमानों ने कुछ ऐसे वक़्फ़ भी क़ायम किए, जिनकी आमदनी आज़ादी के मुजाहिदीन पर खर्च की जाती थीं.

भारत में वक्फ़ कानून के इतिहास की शुरुआत की कहानी 1810 से मिलनी शुरू होती है. इससे पहले वक़्फ़ की संपत्तियों की निगरानी सरकार द्वारा नियुक्त काज़ी किया करते थे.

कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, जब औक़ाफ़ की हालत बदतर होने लगी, तो फोर्ट विलियम कलकत्ता के अधीन क्षेत्रों के लिए एक क़ानून सन् 1810 में पारित हुआ. 1817 में एक ऐसा ही क़ानून फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास के तहत आने वाले क्षेत्रों में भी लागू किया गया. 1818 में एक क़ानून पास हुआ, जिसके ज़रिए वक़्फ़ संपत्तियों की निगरानी बोर्ड ऑफ रिविन्यू और बोर्ड ऑफ़ कमिश्नर्स को दे दी गई.

Awqaf is an Arabic word that refers to assets that are donated, bequeathed, or purchased for charitable causes. The word can also be spelled awkaf, and the singular form is waqf. The concept of awqaf is similar to the Western concept of endowment.

इसके बाद 1863 में पिछले सभी क़ानूनों को निरस्त कर दिया गया, और धार्मिक वक़्फ़ को मतवल्लियों (वक्फ का ट्रस्टी) को सौंप दी गई, बाक़ी वक़्फ़ की संपत्ति सरकार की ही निगरानी में बनी रही. वास्तव में इस क़ानून के द्वारा धार्मिक वक़्फ़ और चैरिटेबल वक़्फ़ के दरम्यान फ़र्क़ पैदा किया गया. 1890 में, चैरिटेबल वक़्फ़ की संपत्तियों के लिए 'टैरिटेबल इंडाउमेंट एक्ट' के तहत, वक़्फ़ की संपत्तियों को ट्रस्ट के रूप में माना गया, जिसकी वजह से उनके सतत रखरखाव की अवधारणा समाप्त हो गया.

इस तरह से ब्रिटिश हुकूमत के दौर में वक़्फ़ की तबाही का सिलसिला शुरू हुआ, इन्हें न सिर्फ़ व्यक्तिगत संपत्ति की तरह बेचा और हस्तांतरित किया जाने लगा, बल्कि अंग्रेज़ों ने एक पॉलिसी के तहत इनको ख़त्म और हड़पना शुरू कर दिया. इससे पहले **1873** में बॉम्बे हाई कोर्ट ने '**वक़्फ़ अलल औलाद**' के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला सुनाया जा चुका था.

> वक्फ अलल औलाद क्या है?
>
> वक्फ अलल औलाद का मतलब यह वक्फ संपत्ति परिवार के ही किसी शख्स के लिए होगी. उस वक्फ का मुतवल्ली(प्रबंधक) का पद परिवार के सदस्य के पास ही रहेगा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा. दूसरा वक्फ अलल खेर इसका मतलब यह सार्वजनिक वक्फ है. इस सपत्ति को जनता के लिए वक्फ किया गया है.
>
> 23-Sept-2022

1894 में प्रिव्यू काउंसिल ने इस फ़ैसले को स्वीकार भी कर लिया. लेकिन **कलकत्ता हाई कोर्ट** में जब दोबारा एक ऐसा ही मामला पेश हुआ तो जस्टिस अमीर अली ने वक़्फ़ बिल की हिमायत में फ़ैसला दिया, लेकिन इनके **साथी अंग्रेज़ जजों ने इनके इस फैसले का विरोध किया. कहा जाता है कि असल में अंग्रेज़ जजों के इस विरोध के बाद ही मुल्क में वक़्फ़ बिल के लिए एक माहौल तैयार हुआ** और इस बिल को लेकर मुसलमानों में बेचैनी बढ़ने लगी.

1910 में भारत के मुसलमानों के हाथ एक मौका आया. बैरिस्टर सर सैयद अली इमाम को भारत सरकार के क़ानून मंत्री नियुक्त हुए. उन्होंने अपने वकील मित्रों के बीच वक़्फ़ पर चर्चा की.

फिर क्या था. कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील खान बहादुर मौलवी मुहम्मद यूसुफ़ ने इंपीरियल काउंसिल में एक वक्फ़ बिल पेश किया. बता दें कि भारत में उस समय तक वक्फ़ अलल औलाद को लेकर कोई क़ानून नहीं था.

2 मार्च, 1911 को सर अली इमाम ने यह कहते हुए इस वक्फ़ बिल को आगे बढ़ाया कि, 'मेरी राय है कि इस बिल को पेश करने के लिए मंज़ूरी दी जानी चाहिए. इस विषय पर मुस्लिम एहसास बहुत मज़बूत है. प्रिव्यू कॉसिल के इस फ़ैसले के बारे में जाना जाता है कि वो वक़्फ़ के मोहम्मडन क़ानून को ग़लत समझते हैं... मुझे इस बात की प्रबल आशंका है कि बिल को पेश करने में बाधा डालने से मुसलमानों में काफ़ी असंतोष पैदा होगा.' इसके आगे भी सर अली इमाम ब्रिटिश हुकूमत के सामने इस बिल की हिमायत में अपनी बातें रखते रहे.

आख़िरकार इंपीरियल काउंसिल ने इस वक्फ़ बिल को मंजूर किया और 7 मार्च 1913 को 'मुस्लिम वक्फ़ वैलिडेटिंग एक्ट 1913' पारित हुआ. इसके बाद से वक़्फ़ एक्ट में लगातार संशोधन होते रहे हैं. आख़िरी संशोधन साल 2013 में किया गया है. इसी वक्फ़ की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में है.

बता दें कि इस मामले में अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि वक्फ एक्ट वक्फ संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक रेगूलेट्री क़ानून है. यदि इस कानून को निरस्त किया जाता है, तो इससे सिर्फ़ अतिक्रमणकारियों को ही लाभ होगा. वक्फ़ बोर्ड एक कानूनी इकाई है और वक़्फ़ संपत्ति का मालिक बोर्ड नहीं है

The Mussalman Wakf Validating Act, 1913

The Mussalman Wakf Validating Act, 1913

ACT No. 6 OF 1913 [1]
[AS ON 1959]

[26th December, 1949]

1. This Act has been declared be in force in the SonthalParganas by Notification under s.3 of the SonthalParganas Settlement Regulation (3 of 1872), see B.&O.Gazette, 1914, Pt.II, p.413. It has been applied to wakfs created before its commencement, see the Mussalman Wakf Validating Act, 1930 (32 of 1930), s.2.
This Act has been extended to the new Provinces and Merged States by the Merged States (Laws) Act, 1949 (59 of 1949), sec. 3 (w.e.f. 1-1-1950) and to the States of Manipur, Tripura and Vindhya Pradesh by the Union Territories (Laws) Act, 1950 (30 of 1950), sec. 3 (w.e.f. 16-4-1950)
It has also been extended to the States Merged in the State of .-Bombay, by Bombay Act 4 of 1950, sec. 3 (w.e.f. 30-3-1950);Madhya Pradesh, by Madhya Pradesh Act 12 of 1950, sec. 3 (3-4-1950);
This Act is extended to the transferred territories in the State of Tamil Nadu by Tamil Nadu Act 23 of 1960, sec. 3 and Sch. 1.
It was adopted mutatis mutandis in the State of Madhya Bharat, by Madhya Bharat Adoption of Laws Act, 1953 (1 of 1953) sec. 2 and Sch. (w.e.f. 24-1-1953); Madhya Bharat now forms part of Madhya Pradesh State.
The Act shall not apply to any wakf to which Delhi Muslim Wakfs Act, 1943 (13 of 1943), applies.
The Act has been extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli by the Dadra and Nagar Haveli (Laws) Regulation, 1963 (6 of 1963).

An Act to declare the rights of Mussalmans to make settlements of property by way of "wakf " in favour of their families, children and descendants.

[7th March, 1913.]

WHEREAS doubts have arisen regarding the validity of wakfs created by persons professing the Mussalman faith in favour of themselves, their families, children and descendants and ultimately for the benefit of the poor or for other religious, pious or charitable purposes; and whereas it is expedient to remove such doubts;
It is hereby enacted as follows:—

2. Defintions.
In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-
(1) "Wakf" means the permanent dedication by a person professing the Mussalman faith of any property for any purpose recognized by the Mussalman law as religious, pious or charitable.
(2) "Hanafi Mussalman" means a follower of the Mussalman faith who conforms to the tenets and doctrines of the Hanafi school of Mussalman law.

3. Power of Mussalmans to create certain wakfs.

It shall be lawful for any person professing the Mussalman faith to create a wakf which in all other respects is in accordance with the provisions of Mussalman law, for the following among other purposes:-
(a) For the maintenance and support wholly or partially of his family, children or descendants, and
(b) Where the person creating a wakf is a Hanafi Mussalman, also for his own maintenance and support during is lifetime or for the payment of his debts out of the rents and profits of the property dedicated:
Provided that the ultimate benefit is in such cases expressly or impliedly reserved for the poor or for any other purpose recognized by the Mussalman law as a religious, pious or charitable purpose of a permanent character.

4. Wakfs not to be invalid by reason of remoteness of benefit to poor, etc..
No such wakf shall be deemed to be invalid merely because the benefit reserved therein for the poor or other religious, pious or a permanent nature is postponed until after the extinction of the family, children or descendants of the person creating the wakf.

5. Saving of local and sectarian custom.
Nothing in this Act shall affect any custom or usage whether local or prevalent among Mussalmans of any particular class or sect.

नरसिम्हा राव सरकार में बढ़ी थी वक्फ बोर्ड की शक्तियां

1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। हालांकि, 1995 के संशोधन से वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां मिलीं। पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन किया और नए-नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दीं। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3(आर) के मुताबिक, अगर कोई संपत्ति, किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक (पवित्र), मजहबी (धार्मिक) या (चेरिटेबल) परोपरकारी मान लिया जाए तो वह वक्फ की संपत्ति हो जाएगी।

वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि यह जमीन किसकी है, यह वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। बाद में वर्ष 2013 में संशोधन पेश किए गए, जिससे वक्फ को इससे संबंधित मामलों में असीमित और पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हुई।

वक्फ बोर्ड को मिली हैं ये शक्तियां

अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया, तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। तब आप वक्फ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। उसमें गैर-मुस्लिम भी हो सकते हैं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।

In Tamil Nadu, Waqf board claims ownership of an entire village. There's a temple too

By Kanishka Singharia | Edited by Sohini Goswami

Sep 15, 2022 07:10 PM IST

FOLLOW ON Google News

Thiruchenthurai is a village located on the Cauvery river's bank in Tiruchirapalli district. It also has a 1,500-year-old Sundareswarar Temple with villagers now wondering how the Waqf would claim ownership of this property as well.

तमिलनाडु के एक गांव में तिरुचिरापल्ली बड़ा बवाल खड़ा तब हो गया जब गांव की पूरी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया. कहा गया कि ये पूरी जमीन ही उनके नाम पर है. अब इस गांव में जितने भी लोग रहते हैं, वो हैरान और परेशान हैं. दावा किया जा रहा कि तिरुचिरापल्ली एक हिंदू बहुल इलाका है और यहां पर एक 1500 साल पुराना मंदिर भी है. ऐसे में यहां की जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा कैसे हो सकता है.

अब इस पूरे विवाद की जानकारी भी तब सामने आई जब गांव के एक शख्स ने अपनी एक एकड़ जमीन बेचने का फैसला किया. लेकिन जब वो तमाम दस्तावेज लेकर गया तो बता दिया गया कि इस जमीन पर तो वक्फ बोर्ड का कब्जा है और अगर जमीन बेचनी है तो पहले NOC लाना पड़ेगा. इस पूरे विवाद पर एक स्थानीय शख्स ने कहा है कि उनकी तीन पीढ़ी इस गांव में रह रही है. लेकिन अब सब हैरान हैं. हमे समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या एक्शन लिया गया है

S No	NAME & ADDRESS OF THE WAQF	TALUK	VILLAGE	OLD /NEW	SURVEY.NO
569 EG 2	Char Masthan Dargha And Kabarsthan Wakf (Sunni Wakf)	Trichy	Tirunelveli	SF	80
69 EG 2	Char Masthan Dargha And Kabarsthan Wakf (Sunni Wakf)	Trichy	[illegible]	SF	107
70	Curry Mohideen Khan Wakf (Sunni Wakf)	Trichy	Inam Thiruchendurai	-	Whole Inam Village
71	Dewan Sha Durgha Wakf (Sunni Wakf)	Tric	[illegible]	TS	[illegible]
72	Durgha Sha Wakf (Sunni Wakf)	Trichy	Melakalkandarkottai	SN	126/1
72	Durgha Sha Wakf (Sunni Wakf)	Trichy	Melakalkandarkottai	SN	126/2
2	Durgha Sha Wakf (Sunni Wakf)	Trichy	Melakalkandarkottai	SN	126/3
2	Durgha Sha Wakf (Sunni Wakf)	Trichy	Melakalkandarkottai	SN	126/4
3	Edunba Sahib Wakf (Sunni Wakf)	Trichy	Pandamangalam	TS	2725/2
	Edunba Sahib Wakf (Sunni Wakf)	Trichy	Pandamangalam	TS	2725/1
	Edunba Sahib Wakf (Sunni Wakf)	Trichy	Pandamangalam	TS	2696/2
	Edunba Sahib Wakf (Sunni Wakf)	Trichy	Pandamangalam	TS	2697/2
	Edunba Sahib Wakf (Sunni Wakf)	Trichy	Pandamangalam	TS	2696/1
	Edunba Sahib Wakf (Sunni Wakf)	Trichy	Pandamangalam	TS	2697/1
	Elthitar Khan Mashara Wakf (Sunni Wakf)	Trichy	Trichy	TS	2260
	Fathuallah Sahib Dargha Wakf	Trichy	Pudur	TS	44
	…uallah Sahib … Wakf	Trichy	Pudur	TS	45
	…een Sha Durga	Trichy	Abisekapuram	TS	TS NO 166
	… (Sunni	Trichy	Pandamangalam	SF	181/2
	…Sunni	Trichy	Pandamangalam	TS	2668
	…unni	Trichy	Pandamangalam	TS	2667

CHIEF EXECUTIVE O…
TAMIL NADU WAKF …
CHENNAI- 600 00…

8 241

2022.09.05 12:04

'Don't register Waqf Board properties based on NoCs'

Minorities Welfare Dept. writes to I-G of Registration

September 30, 2021 01:01 am | Updated 01:02 am IST - CHENNAI

STAFF REPORTER

COMMENTS SHARE READ LATER

The Backward Classes, Most Backward Classes and Minorities Welfare Department has instructed the Inspector-General of Registration to not register documents alienating Waqf Board properties based on "No-Objection Certificates" issued by the staff of Tamil Nadu Waqf Board.

The department has said that only Chief Executive Officer of Tamil Nadu Waqf Board can issue such a certificate after following due procedure.

Protest erupts in Tamil Nadu village accusing Waqf board of land grabbing

The locals in Tamil Nadu's Arcot village protested against the state Waqf board saying it claimed ownership of 57 acres of land.

Listen

ADVERTISEMENT

Pramod Madhav
Chennai, UPDATED: Feb 14, 2023 22:24 IST

तमिलनाडु के रानीपेट जिले के आर्कोट (Arcot) में मंगलवार (14 फरवरी) को ग्रामीणों ने राज्य वक्फ बोर्ड (Waqf Board) पर जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया. यह विरोध प्रदर्शन हिंदूवादी संगठन हिंदू मन्नणि (Hindu Munnani) के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में किया गया. प्रदर्शकारियों ने आरोप लगाया कि राज्य वक्फ बोर्ड ने 57 एकड़ जमीन के मालिकाना हक का दावा किया है.

हिंदू मन्नणि का डीएमके सरकार पर आरोप

न्यूज वेबसाइट इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक, हिंदू मन्नणि काडर की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों ने डीएमके सरकार पर हिंदू किसानों की जमीन वक्फ बोर्ड को देने का आरोप लगाया. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वक्फ बोर्ड डीएमके के मंत्री आर गांधी की मदद से हिंदुओं की जमीन को निशाना बना रहा है.

'पहले कागज फर्जी बताए फिर रद्द कर दिए'

रिपोर्ट के मुताबिक, रमेश नाम के एक स्थानीय शख्स ने बताया कि इसी क्षेत्र में उसकी जमीन है लेकिन अधिकारियों ने उसके दस्तावेज फर्जी बताए और उसके एक दिन बाद जमीन के कागज रद्द कर दिए. शख्स ने कहा कि उसके पिता ने 1980 में जमीन तीन एकड़ जमीन खरीदी थी और परिवार तब से संपत्ति टैक्स का भुगतान करता आ रहा है.

Waqf Board stakes claim on two islands in Bet Dwarka, read details

The Waqf committee in its application claimed that the ownership of two islands on Bet Dwarka island belongs to the Waqf Board.

26 December, 2021

OpIndia Staff

Bet Dwarka is an island in Devbhoomi Dwarka, Gujarat

- Advertisement -
Ad served by Google
Ad options
Send feedback
Why this ad?

Latest News

"Catch him, hit him, don't let him run away", shouted Muslim mob during Nuh Violence: Bank Manager Ravi Gupta shares his horrifying

गुजरात में भगवान श्रीकृष्ण की नगरी द्वारका स्थित बेट द्वारिका के दो टापू पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा जताया है। गुजरात उच्च न्यायालय ने इस पर आश्चर्य जताते हुए पूछा कि कृष्ण नगरी पर आप कैसे दावा कर सकते हैं। गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायाधीश संगीता विशेन की अदालत में एक ऐसा मामला पहुंचा, जिसे सुनकर वह खुद चौंक गई।

सुन्नी वक्फ बोर्ड ने देवभूमि द्वारका में स्थित बेट द्वारका के दो टापू पर अपना दावा जताया, न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की नगरी पर आपका कैसे हक हो सकता है। न्यायाधीश ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया। बेट द्वारका में करीब आठ टापू है, जिनमें से दो पर भगवान कृष्ण के मंदिर बने हुए हैं।

प्राचीन कहानियां बताती हैं कि भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए मीरा यहीं पर उनकी मूर्ति में समा गई थी। बेट द्वारका के इन दो टापू पर करीब 7000 परिवार रहते हैं, इनमें से करीब 6000 परिवार मुस्लिम हैं। वक्फ बोर्ड इसी के आधार पर इन दो टापू पर अपना दावा जताता है, लेकिन अदालत में उसकी इस हरकत पर आश्चर्य जताते हुए उनके दावे को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका को संशोधित करके फिर से दायर करें।

वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ पर गैर कानूनी कब्जा

यदि भारत मे देखा जाए तो भारत में बहुत बड़ी मात्रा में जमीन है जो वक़्फ़ के अंतर्गत दान दी जा चुकी है।

- यदि बात करें मात्र भारत की राजधानी दिल्ली की तो दिल्ली में लगभग 16,844 ऐसी प्रॉपर्टीस है जो वक़्फ़ के अंदर दान दी जा चुकी है। यदि इस पूरी वक़्फ़ प्रोपीटीज की व्यवसाई कीमत आंकी जाए तो 12 सो करोड रुपए है। जिनमें कुछ जमीनें रजिस्टर्ड है तो कुछ रजिस्टर्ड है ही नहीं।
- जैसे जैसे जमीनो की कीमत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोग वक़्फ़ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करते जा रहे है। यदि राज्यों के आंकड़े की बात की जाए तो पंजाब में 5610 से भी ज्यादा जमीन पर लोगों ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है।
- वही एमपी में 3240, वेस्ट बंगाल में 382, तमिलनाडु, कर्नाटका में 862, हरियाणा में 754 और एचपी में 530 जमीनों पर गैरकानूनी रूप से कब्जा किया गया है जिन पर वक़्फ़ कानूनी बोर्ड की तरफ से केस किया जा चुका है और अब तक अदालत में कई केस चल रहे है।
- एक आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने अपने द्वारा मीडिया रिपोर्ट में एक आंकड़े प्रस्तुत किए थे जिसके अनुसार वक़्फ़ में दान की गई 70% जमीनों पर अलग-अलग लोगों ने अपना कब्जा गैरकानूनी रूप से जमाया हुआ था। उस कब्जे पर कोर्ट में केस भी चलाए जा रहे हैं।

According to October 2022

Sunni Waqf Board declares Taj Mahal religious property

Sunni Waqf Board declares Taj Mahal religious property

In a decision that is bound to set off a fresh bout of controversy, the Uttar Pradesh Sunni Central Wakf Board yesterday declared itself the owner of world heritage Taj Mahal.

Published: July 14, 2005 00:00
By Masood Hasan, Correspondent

In a decision that is bound to set off a fresh bout of controversy, the Uttar Pradesh Sunni Central Wakf Board yesterday declared itself the owner of world heritage Taj Mahal.

Spurning claims from various quarters including the Archaeological Survey of India (ASI) on the monument, Board chairman Hafiz Usman demanded that the 17th century monument of love should be registered in the Board's name.

On a directive of the Allahabad High Court, the Board was hearing a petition by Mohammad Irfan Bedar claiming the Taj Mahal was religious property, or waqf, and that he should be declared its caretaker, or mutawalli. The ASI said the declaration of the Board would "not be in the interest of Taj Mahal" and that it wold contest the ruling.

एएसआई ने इसके खिलाफ 2010 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इस पर कोर्ट ने बोर्ड के फैसले पर स्टे लगा दिया था।

SC asks Waqf board to show signed documents of Shah Jahan on Taj Mahal

PTI • Last Updated: Apr 11, 2018, 07:32 PM IST

Synopsis
"Show us the signature", the CJI told the counsel, who then sought more time to produce relevant documents.

NEW DELHI: The **Uttar Pradesh** Sunni Waqf Board has been asked by the Supreme Court to show documents signed by Mughal emperor **Shah Jahan** to prove its claim that it owns the iconic **Taj Mahal**.

A bench headed by Chief Justice **Dipak Misra** asked the counsel of the board to show it documents to substantiate that Shah Jahan, who had built the Taj Mahal in the memory of his wife Mumtaz Mahal in 1631, had executed a 'waqfnama' in favour of the board.

Waqfnama is a deed or a document through which a person expresses intention to donate a property or land for charitable purposes or waqf.

ANI @ANI

Sunni Central Waqf Board declared Taj Mahal as Waqf property in 2004 against which Archaeological survey of India filed an appeal. In that plea, SC has sought reply from Waqf board that what documents do they have to prove that Taj Mahal is their property: Vishnu Jain, advocate

7:14 PM - Apr 11, 2018

105 59 people are talking about this

ताजमहल पर मालिकाना हक जताने वाला सुन्नी वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट में शाहजहां के दस्तखत वाला वक्फनामा पेश नहीं कर पाया। इस पर, चीफ जस्टिस ने कहा कि बोर्ड कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहा है। बता दें कि वक्फ बोर्ड ने पिछली सुनवाई में दावा किया था कि मुगल बादशाह शाहजहां ने बोर्ड के पक्ष में ताजमहल का वक्फनामा किया था। इस पर कोर्ट ने सबूत मांगे थे।

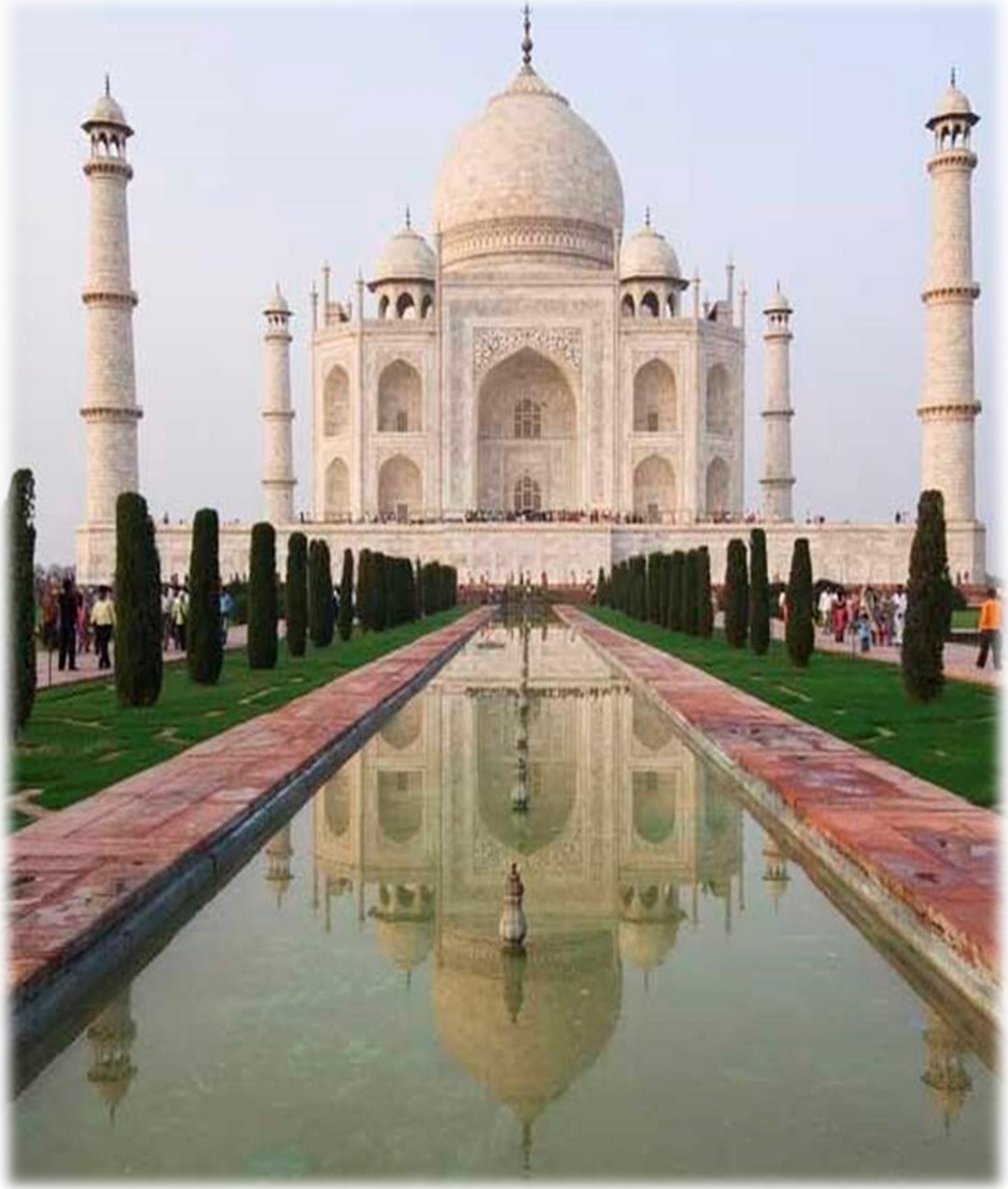

Agra court imposes fine for frivolous case on Taj Mahal's ownership

A resident of Lohamandi who says the Taj belongs to the Uttar Pradesh Sunni Waqf Board, asked a district civil court to tell it to produce its register of properties.

Listen

ADVERTISEMENT

Siraj Qureshi
Agra, UPDATED: Apr 20, 2018 22:52 IST

कैसे बढ़ रहा है वक्फ बोर्ड की जमीन का रकबा?

दरअसल, वक्फ बोर्ड देशभर में जहां भी कब्रिस्तान की घेरेबंदी करवाता है, उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। अवैध मजारों, नई-नई मस्जिदों की भी बाढ़ सी आ रही है। इन मजारों और आसपास की जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है। चूंकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं, बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए कि कैसे उसकी जमीन वक्फ की नहीं है।

1995 का कानून यह जरूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है? जवाब ऊपर दिया जा चुका है। अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना है, सारे कागज और सबूत उसे देने हैं जो अब तक दावेदार रहा है। कौन नहीं जानता है कि कई परिवारों के पास जमीन का पुख्ता कागज नहीं होता है। वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज नहीं देना है।

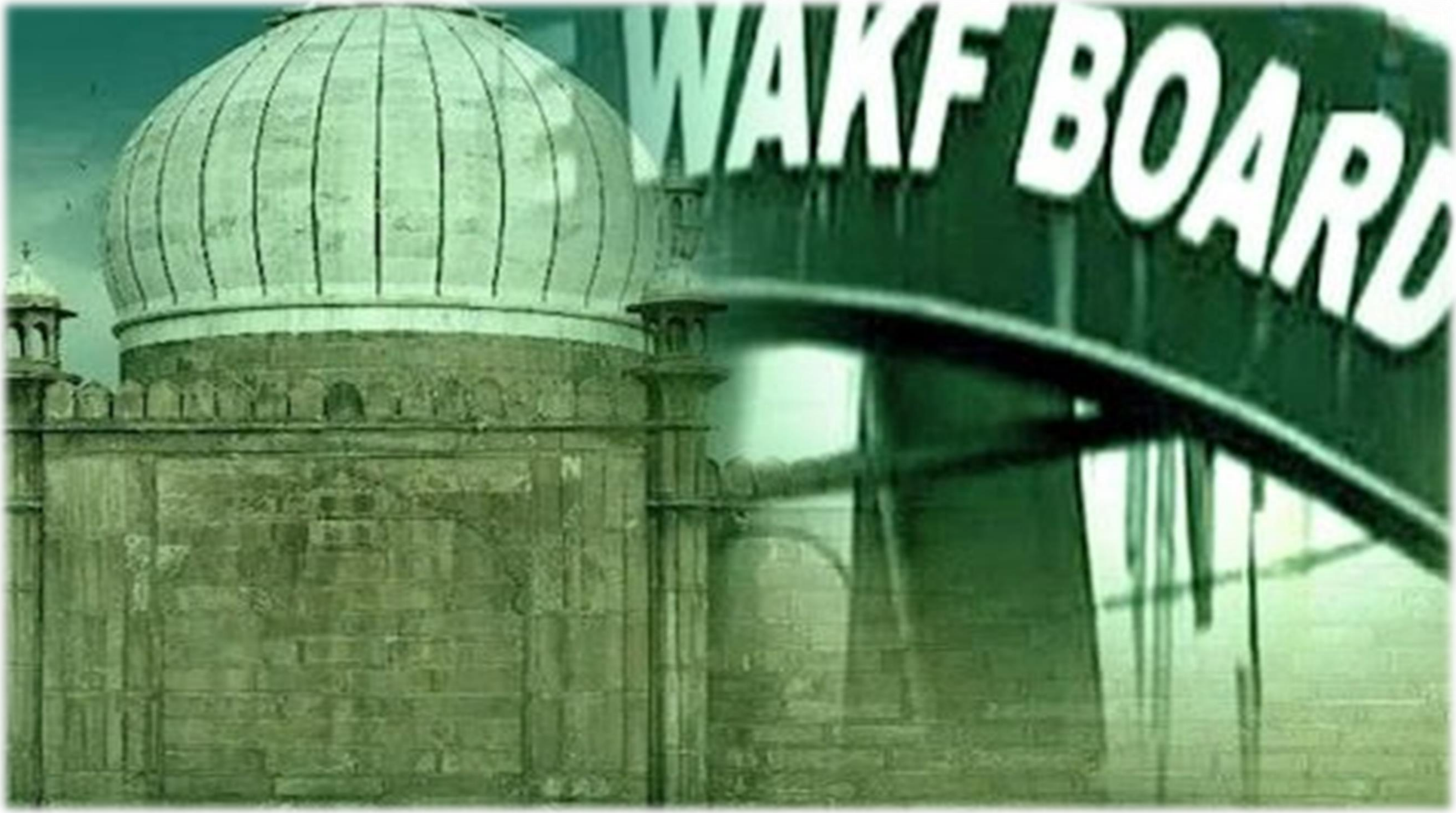
WAKF BOARD

ETPrime

UP orders survey of waqf properties 'illegally registered' under 1989 order

ET Bureau • Last Updated: Sep 22, 2022, 12:11 AM IST

SHARE FONT SIZE

Synopsis

"The move is to prevent illegal encroachment of Waqf land and to ensure documentation and records of property registered as waqf under the 1989 order is proper and in keeping with the provisions of The Waqf Act of 1995 and the UP Muslim Waqf Act of 1960," minister of state for minority welfare Danish Azad Ansari told ET.

Uttar Pradesh has initiated an exercise to regularise revenue records of waqf properties in what the government says is an attempt aimed at preventing illegal encroachment of the properties and has also cancelled a 1989 government order under which uncultivable land at several places was "illegally registered" as waqf property.

UP govt identifying Waqf properties for welfare projects

By HT Correspondent

Feb 21, 2023 11:26 PM IST

FOLLOW ON Google News

There are 162,229 Waqf properties in UP, including 1,50,000 registered with the Sunni Central Waqf Board and 12,229 with the Shia Central Waqf Board. The govt has directed officials to survey these properties so that schools, hospitals, parks and playgrounds can come up at these places, says minister

संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले सर्वे कराना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

24 May 2023 1:11 PM

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में चिन्हित करने से पहले उक्त संपत्ति का वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 4 के तहत सर्वेक्षण करना अनिवार्य है।

15 साल में हो गई दोगुनी संपत्ति

कहा गया कि यूपीए सरकार में किए गए संसोधनों की वजह से वक्फ बोर्ड हाल के दिनों में भू-माफिया की तरह व्यवहार कर रहा है जिसमें निजी संपत्ति से लेकर सरकारी भूमि तक और मंदिर की भूमि से लेकर गुरुद्वारों तक की संपत्ति पर कब्जा कर रहा है. **मूल रूप से, वक्फ के पास पूरे भारत में लगभग 52,000 संपत्तियां थीं. 2009 तक, 4 लाख एकड़ में फैली 300,000 पंजीकृत वक्फ संपत्तियां थीं. पिछले 15 साल में यह दोगुनी हो गई हैं. वर्तमान में वक्फ बोर्डों के पास करीब 9 लाख 40 हजार एकड़ में फैली करीब 8 लाख 72 हजार 321 अचल संपत्तियां हैं. चल संपत्ति 16,713 हैं.जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपये बताई जा रही है.** ये संपत्तियां विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित की जाती हैं और इनका विवरण वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया (WAMSI) पोर्टल पर दर्ज किया गया है.

वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024

भारत सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश किया जाएगा। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 मौजूदा वक्फ अधिनियम 1995 में लगभग 40 संशोधनों की एक श्रृंखला का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक को संशोधन विधेयक के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह मौजूदा अधिनियम को संशोधित करना चाहता है। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिए बनाया गया है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 का प्राथमिक फोकस वक्फ प्रणाली के भीतर अधिक जवाबदेही, पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करना है। 2013 में मूल अधिनियम में संशोधन लाकर वक्फ बोर्डों को अधिक व्यापक शक्तियां प्रदान की गई। जो वक्फ प्राधिकरणों, व्यक्तिगत संपत्ति मालिकों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सहित कई राज्य संस्थाओं के बीच विवाद का एक प्रमुख मुद्दा रहा है।

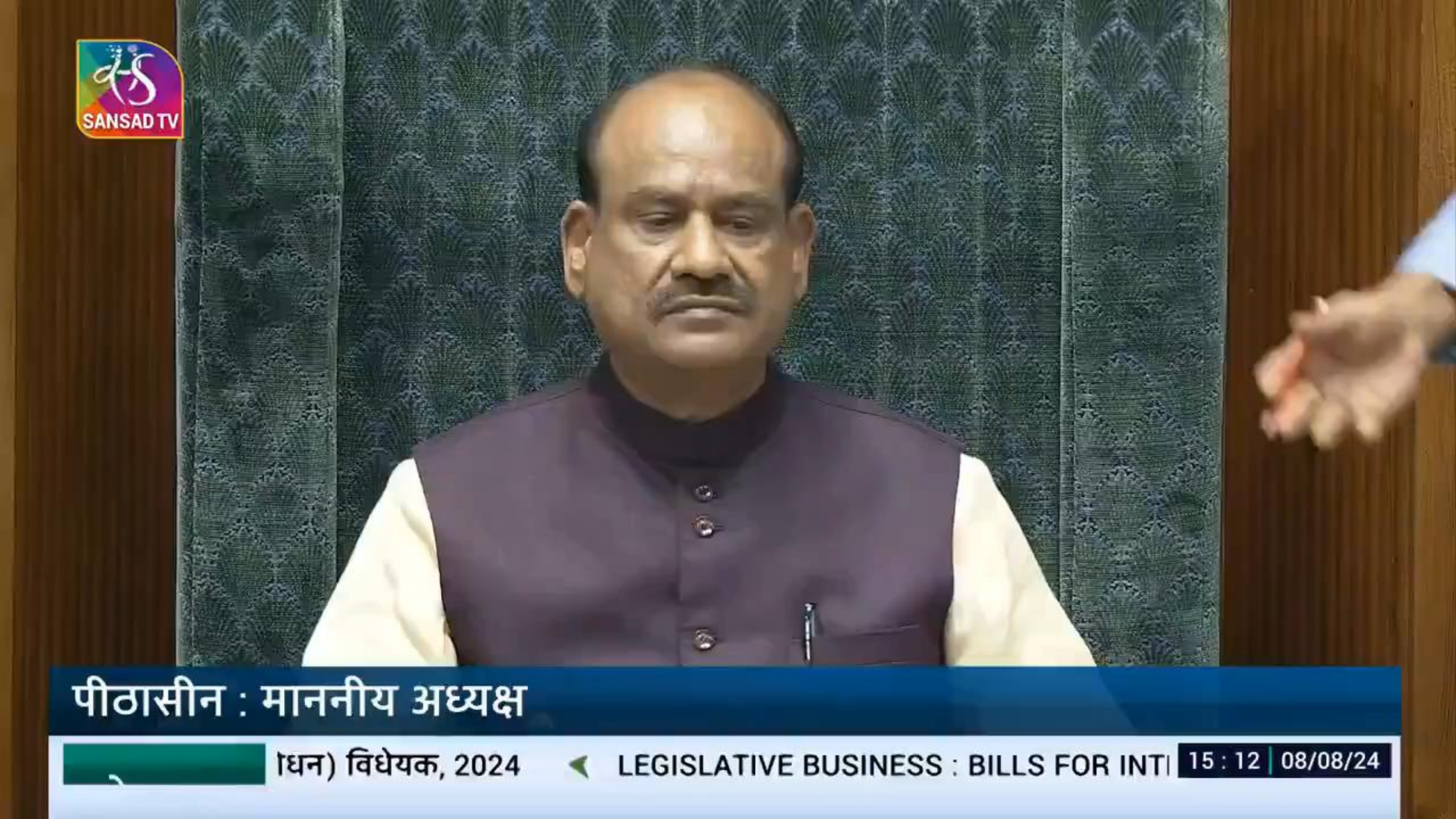
SANSAD TV
पीठासीन : माननीय अध्यक्ष
विधेयक, 2024
LEGISLATIVE BUSINESS : BILLS FOR
15 : 12
08/08/24

Kiren Rijiju
@KirenRijiju

यह बिल मुस्लिम समुदाय के भीतर महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए प्रतिनिधित्व और अवसर सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया है, जिन्हें आज से पहले कभी मौका नहीं दिया गया।

6:17 PM · Aug 8, 2024 · **3,658** Views

बिल में प्रस्तावित कुछ प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं: प्रस्तावित प्रमुख संशोधनों में **वक्फ बोर्डों का पुनर्गठन**, **बोर्डों की संरचना में बदलाव** और बोर्ड द्वारा वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले **भूमि का सत्यापन** सुनिश्चित करना शामिल है।

अधिनियम का नाम बदला: वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 किया गया।

संपत्ति पंजीकरण और सत्यापन: उचित सत्यापन और निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए वक्फ बोर्डों को अपनी संपत्तियों को जिला अधिकारियों के साथ पंजीकृत करना आवश्यक होगा।

संपत्तियों का सत्यापन: विधेयक में विवादित भूमि के अनिवार्य नए सत्यापन की आवश्यकता है, जिससे संपत्ति के स्वामित्व और प्रबंधन के आसपास स्पष्टता बढ़ेगी। यह उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जिन पर वक्फ बोर्ड और व्यक्तिगत मालिकों द्वारा दावे और प्रतिदावे किए गए हैं

कामकाज में सुधार: वक्फ बोर्डों की मनमानी शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए उनके कामकाज में सुधार के लिए धारा 9 और 14 में संशोधन। विधेयक में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की संरचना को बदलने के लिए वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में संशोधन करने का प्रस्ताव है,

महिलाओं का समावेश: प्रस्तावित संशोधन वक्फ बोर्डों में महिलाओं को शामिल करने, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है।

सर्वेक्षण आयुक्त: वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए कलेक्टर द्वारा नामित कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर के पद से नीचे के किसी अन्य अधिकारी को सर्वेक्षण आयुक्त के कार्य प्रदान करने का प्रावधान है

प्रतिनिधित्व: इस बिल मे मुस्लिम समुदायों में शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रावधान है।

धारा 40 लोप: कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, यह तय करने की बोर्ड की शक्तियों से संबंधित धारा 40 को हटाने का प्रावधान है।

उत्परिवर्तन की प्रक्रिया: किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित नोटिस के साथ राजस्व कानूनों के अनुसार उत्परिवर्तन के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करने का प्रावधान।

न्यायाधिकरण संरचना: दो सदस्यों के साथ न्यायाधिकरण संरचना में सुधार और प्रावधान किया गया है और नब्बे दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान।

धारा 107 एवं 108 का लोप: धारा 107 का लोप ताकि परिसीमा अधिनियम, 1963 अधिनियम के तहत किसी भी कार्रवाई पर लागू हो सके; और धारा 108 का लोप और 108ए वक्फ संपत्तियों को खाली कराने के विशेष प्रावधान और अधिभावी प्रभाव वाले अधिनियम से संबंधित है।

Q बिल संविधान के खिलाफ है?

A इस बिल में जो भी प्रावधान हैं। यह संविधान के किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन नहीं करता है। यह धर्म के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन नहीं करता है।

Q बिल में हक छीना जा रहा है?

A किसी का हक नहीं छीना जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं को जगह दी गई है।

Q वक्फ संशोधन बिल क्यों लाए?

A वक्फ संशोधन बिल पहली बार संसद में पेश नहीं किया गया। आजादी के बाद 1954 में बिल आया। इसके बाद कई संसोधन हुए। बिल में वक्फ एक्ट 1995 में संसोधन किया गया है।

वक्फ बोर्ड कानून : नए-पुराने में 4 बड़े अंतर

वक्फ बोर्ड का पुराना कानून	वक्फ बोर्ड का नया प्रस्तावित बिल
1. सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है।	**1.** नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाईकोर्ट में अपील कर सकेगा।
2. वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है। उसे चुनौती नहीं दी जा सकती।	**2.** अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी।
3. किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्धेश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमैटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है।	**3.** जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो। उस पर भले ही मस्जिद बनी हो पर वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी।
4. वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी।	**4.** वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी।

कलेक्टर निभाएंगे मध्यस्थ की भूमिका

नए विधेयक में एक अहम बदलाव कलेक्टर की मध्यस्थ की भूमिका को लेकर किया गया है। अब जिला कलेक्टर को यह तय करने का अधिकार होगा कि कोई संपत्ति वक्फ है या सरकारी। धारा 3सी में कहा गया है कि इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी गई या घोषित की गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी।

यदि कोई सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसी कोई संपत्ति सरकारी संपत्ति है, तो स्थानीय कलेक्टर को भेजा जाएगा। कलेक्टर जांच करेंगे और तय करेंगे कि संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं। वह अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे। इसमें एक उप-खंड भी जोड़ा गया है कि ऐसी संपत्ति को तब तक वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा, जब तक कलेक्टर अपनी रिपोर्ट नहीं दे देते। मौजूदा कानून के अनुसार, यह निर्णय वक्फ न्यायाधिकरण करता है। धारा 3सी के तहत विवादित भूमि पर अनिवार्यत: सरकार का नियंत्रण होगा, जो पहले वक्फ बोर्डों के पास हुआ करती थी। वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने का अधिकार जिला कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर के पास रहेगा।

नए विधेयक से केंद्र को किसी भी वक्फ का लेखा परीक्षण कराने का निर्देश देने की शक्ति भी मिलेगी। यह लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक या केंद्र सरकार द्वारा इस काम के लिए नामित किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

संसद टीवी
1
HD
LIVE
पीठासीन : माननीय अध्यक्ष
LOK SABHA
र्य : पुरःस्थापित किए जाने के लिए विधेयक - वक्फ (संशोधन) विधेयक, 202
15 : 03
08/08/24
SUBSCRIBE

विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है?

लोकसभा में विपक्ष ने मांग उठाई है कि वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश करने के बाद इसे जांच के लिए संसद की स्थायी समिति को भेजा जाए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरकार को बिल लाने से पहले मुस्लिम संगठनों से बात करनी चाहिए थी। अगर सरकार की नीयत ठीक है तो पहले बिल पर चर्चा करनी चाहिए।

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट में कहा कि वक्फ बोर्ड का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है। रक्षा, रेल, नजूल भूमि की तरह जमीन बेचना निशाना है। अखिलेश ने यह भी कहा कि इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची नहीं जाएंगी।

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है और इसमें दखल देना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि अब अगर आप वक्फ बोर्ड की स्थापना और संरचना में संशोधन करते हैं तो प्रशासनिक अव्यवस्था होगी। वक्फ बोर्ड की स्वायत्ता खत्म हो जाएगी। वक्फ बोर्ड पर सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा तो उसकी स्वतंत्रता प्रभावित होगी। इसके अलावा राजद, एनसीपी (शरद गुट), शिवसेना (उद्धव गुट) समेत अन्य दलों ने भी प्रस्तावित कानून का अलग-अलग तर्कों के साथ विरोध किया है।

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

'वक़्फ़ बोर्ड' का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है
रक्षा, रेल, नज़ूल लैंड की तरह ज़मीन बेचना निशाना है

वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीनें, डिफ़ेंस लैंड, रेल लैंड, नज़ूल लैंड के बाद 'भाजपाइयों के लाभार्थ योजना' की श्रृंखला की एक और कड़ी मात्र हैं। भाजपा क्यों नहीं खुलकर लिख देती : 'भाजपाई-हित में जारी'

इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीनें बेची नहीं जाएंगी।

भाजपा रियल स्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। उसे अपने नाम में 'जनता' के स्थान पर 'ज़मीन' लिखकर नया नामकरण कर देना चाहिए : भारतीय ज़मीन पार्टी

#नहीं_चाहिए_भाजपा

Translate post

10:30 AM · Aug 8, 2024 · **839.9K** Views

AIMIM
@aimim_national

बैरिस्टर @asadowaisi ने वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पर चर्चा के दौरान कहा, 'मैंने नियम 72 के तहत इस विधेयक का विरोध किया है। यह विधेयक अनुच्छेद 14, 15 और 25 में दिए गए सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो इसे भेदभावपूर्ण और मनमाना बनाता है। यह विधेयक न्यायिक स्वतंत्रता और शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर एक गंभीर हमला है।

#AIMIM #AsaduddinOwaisi #WaqfAmendmentBill #WaqfBoardBill #Waqf #WaqfAct #Owaisi #Parliament

Translate post

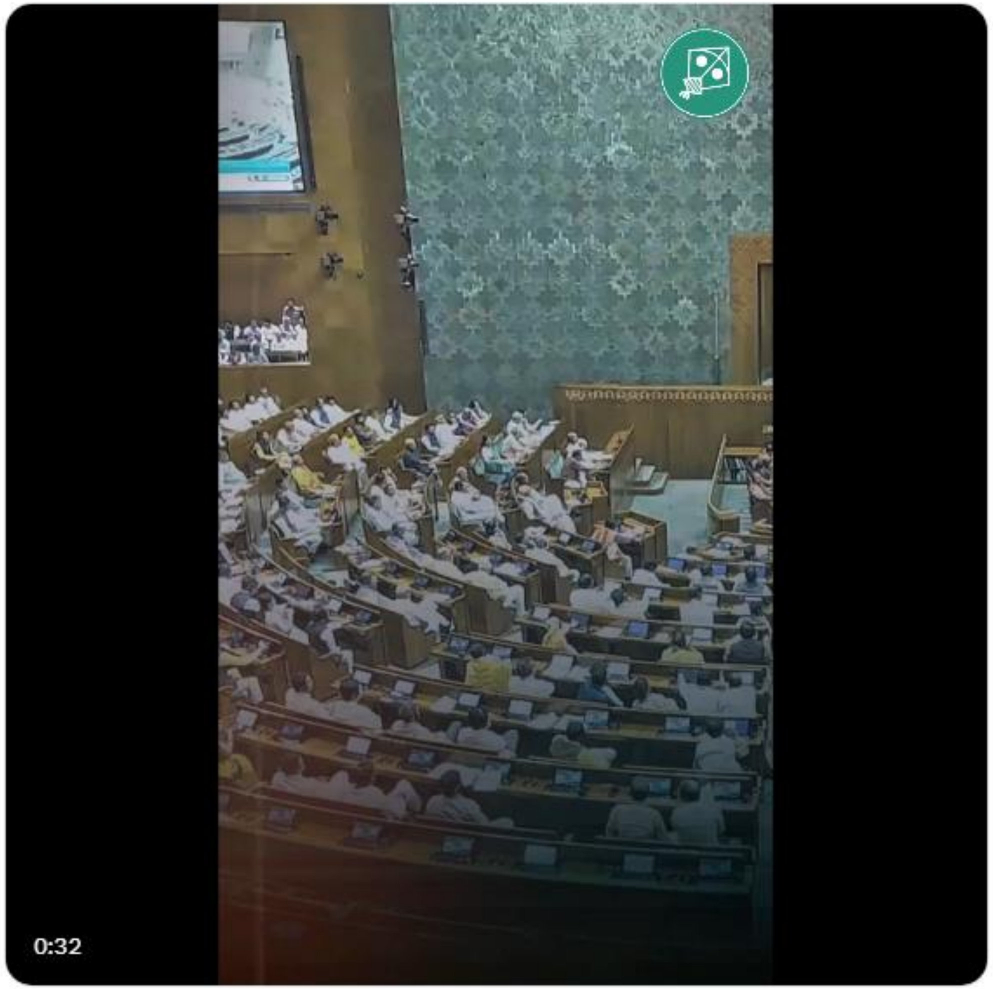

संसद टीवी
1
HD
LIVE
IN THE CHAIR : HON'BLE SPEAKER
लोक सभा
– वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024
LEGISLATIVE BUSINESS : BIL
15 : 10
08/08/24
SUBSCRIBE

अनुच्छेद 26 का जिक्र

बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए कहा कि इस बिल में यह प्रावधान है कि गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं। यह किसी धर्म का आस्था और स्वतंत्रता पर हमला है। दरअसल, अनुच्छेद-26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार होगा। सभी धार्मिक संप्रदायों या उनके किसी अनुभाग को अपने धर्म से जुड़े कार्यों का प्रबंधन करने का भी अधिकार होगा।

सभी धार्मिक संप्रदायों या उनके किसी अनुभाग को अचल और चल संपत्ति अर्जित करने और उसके स्वामित्व का अधिकार होगा। इसके साथ ही इस तरह की संपत्तियों को कानून के मुताबिक प्रशासन करने का भी अधिकार होगा।

सदन में अखिलेश यादव ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा, 'यह विधेयक बहुत सोची समझी राजनीति के तहत है। जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसमें नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य को शामिल करने का क्या औचित्य बनता है। सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश निराश चंद कट्टर समर्थकों के लिए यह विधेयक लेकर आई है।'

1. **Right to equality (Articles 14–18)**
2. **Right to freedom (Articles 19–22)**
3. **Right against exploitation (Articles 23–24)**
4. **Right to freedom of religion (Articles 25–28)**
5. **Cultural and educational rights (Articles 29–30)**
6. **Right to constitutional remedies (Article 32)**

Article 14	Ensures people living in India are equal before Law.
Article 15	This article prohibits discrimination in any form - Caste, Religion, Sex, Place of birth and etc.
Article 16	It ensures equality in employment opportunities for all people irrespective of their Religion, Caste, Sex, Place of birth, etc.
Article 17	It deals with abrogate of untouchability.
Article 18	It deals with termination of titles awarded to citizens of India.

Right to Freedom (Articles 19 – 22)

Freedom is one of the most important ideals cherished by any democratic society. The Indian Constitution guarantees freedom to citizens. The freedom right includes many rights such as:

- Freedom of speech
- Freedom of expression
- Freedom of assembly without arms
- Freedom of association
- Freedom to practise any profession
- Freedom to reside in any part of the country

- **Right against Exploitation (Articles 23 – 24)**

This right implies the prohibition of traffic in human beings, *begar*, and other forms of forced labour. It also implies the prohibition of employment of children in factories, etc. The Constitution prohibits the employment of children under 14 years in hazardous conditions.

- **Right to Freedom of Religion (Articles 25 – 28)**

This indicates the secular nature of Indian polity. There is equal respect given to all religions. There is freedom of conscience, profession, practice and propagation of religion. The State has no official religion. Every person has the right to freely practice his or her faith, and establish and maintain religious and charitable institutions.

Article 26 in Constitution of India

26. Freedom to manage religious affairs

Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right—

(a) to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes;

(b) to manage its own affairs in matters of religion;

(c) to own and acquire movable and immovable property; and

(d) to administer such property in accordance with law.

Editorial Comment - *Article 26 provides for the freedom to manage the religious affairs of the citizens and is subject to Public order, morality and health.*

Article 26(a) Right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes.The right to establish and maintain religious institutions is given to every religious institution. The word establishes and maintains must be read together. So it is important for a religious institution to first establish a religious institution and only then the right to maintain an institution is to be given to that group. It is to be noted that the right to maintain an institution will also include the right to administer it.

In the case of TMA Pai Foundation v. The State of Karnataka, AIR 2003, the court held that the right to establish and maintain a religious institution is given to every religion. It can be a majority religion or even a minority religion.

Article 26(b) Right to manage its own affairs in matters of religion. Every religious institution has the right to manage its own affairs in the matters of religion. The State has got no right to interfere in these matters unless it is affecting the public order, morality and health of the citizens.

In the case of S.P. Mittal v. Union of India, AIR 1983, the validity of the Aurobindo (Emergency Provisions) Act, 1980 was challenged on the ground that it was violative of their right to freedom of religion. Sri Aurobindo founded the philosophy of cosmic salvation. He and his disciples formed the Aurobindo Society. The court decided that the sayings of Sri Aurobindo were not religious institutions. So the taking over of the Aurobindo Ashram by the Government did not infringe Article 25 and 26 of the Indian Constitution.

Waqf Bill referred to joint parliamentary panel after Opposition calls it 'draconian' and an attack on the Constitution

Minority Affairs Minister Kiren Rijiju says Modi government aims to bring in reforms to give justice to ordinary Muslims as Waqf Boards have been captured by a handful of people

Updated - August 09, 2024 06:37 am IST Published - August 08, 2024 10:44 pm IST - New Delhi

THE HINDU BUREAU

मोदी सरकार ने बुधवार को वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया. इस बिल को लेकर संसद में हंगामा देखने को मिला. इस दौरान जहां विपक्ष ने जमकर हंगामा किया तो वहीं सत्तापक्ष की तरफ से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विस्तार से बताया कि क्यों इस विधेयक को लाने की जरूरत पड़ी. विपक्ष से समर्थन की गुहार लगाते हुए रिजिजू ने कहा कि इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों की दुआ आपको मिलेगी. चंद लोगों ने पूरे वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा है और आम मुस्लिम लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसे सही करने के लिए यह बिल लाया गया है. यह इतिहास में दर्ज होगा कि इस बिल किसने समर्थन किया है और किसने विरोध किया है.

किरेन रिजिजू ने कहा कि हम भागने वाले नहीं

इस बिल को लेकर जब बहुत बहस हुई तो किरेन रिजिजू ने कहा कि, हम प्रस्ताव करते हैं कि इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाए. इस पर स्पीकर ने कहा कि हां, जल्द ही कमेटी बनाऊंगा. वहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर डिवीजन की मांग की. स्पीकर ने कहा कि इस पर डिवीजन कैसे बनता है.

ओवैसी ने कहा कि हम तो शुरू से डिवीजन की मांग कर रहे हैं. किरेन रिजिजू ने कहा कि हम भागने वाले नहीं हैं. उन्होंने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस बिल को यहां से पास कर दीजिए. इसके बाद इसमें जो भी स्क्रूटनी करनी हो, हम तैयार हैं. ये बिल बनाकर आप जेपीसी को भेज दीजिए. हर दल के सदस्य उस कमेटी में हों, जो भी स्क्रूटनी करना चाहें, हम तैयार हैं.

इतिहास में दर्ज होगा कि कौन-कौन विरोध में था. जो खामियां 2014 से आज तक 1955 के एक्ट के बारे में कांग्रेस के जमाने में भी कई कमेटियां कह चुकी हैं. 1976 में वक्फ इनक्वायरी रिपोर्ट में बड़ा रिकंमेडेशन आया था कि उसको डिसीप्लीन करने के लिए प्रॉपर कदम उठाए जाने चाहिए, मतभेद सरल करने के लिए ट्राइबल गठन होना चाहिए. ऑडिट और अकाउंट्स का तरीका प्रॉपर नहीं है, पूरा प्रबंधन होना चाहिए. वक्फ अल औलाद में सुधार लाना चाहिए.

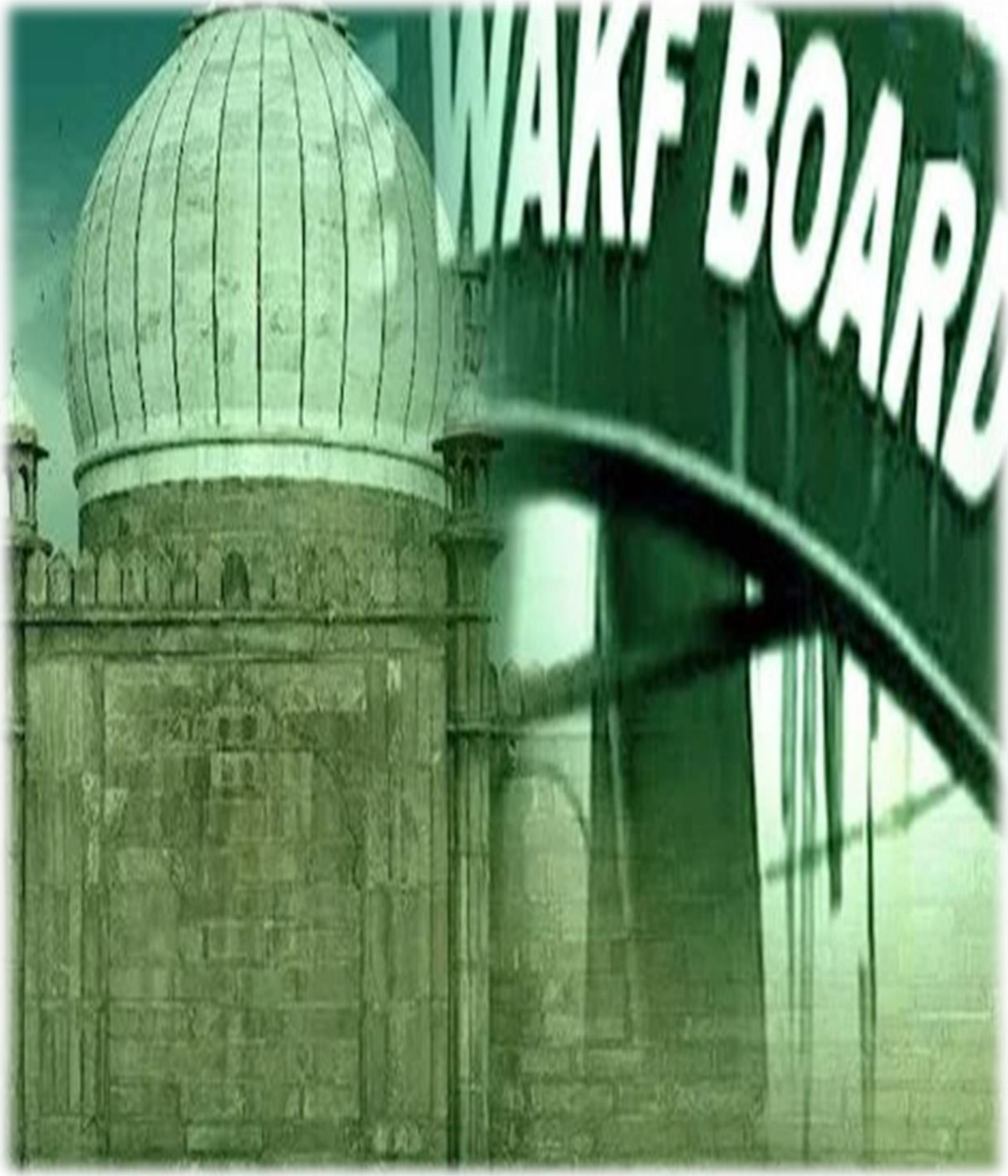

जेपीसी क्या होती है?

दरअसल, संसद को एक ऐसी एजेंसी की जरूरत होती है जिसपर पूरे सदन को भरोसा है. इसके लिए संसद की समितियां होती हैं. इन समितियों में संसद के सदस्य होते हैं. किसी बिल या फिर किसी सरकारी गतिविधियों में वित्तीय अनिमितताओं के मामलों की जांच के लिए जेपीसी का गठन किया जाता है.

जेपीसी की जरूरत क्यों?

इसकी जरूरत इसलिए क्योंकि संसद के पास बहुत सारा काम होता है. इन कामों को निपटाने के लिए समय भी कम होता है. इस कारण कोई काम या मामला संसद के पास आता है तो वो उस पर गहराई से विचार नहीं कर पाती. ऐसे में बहुत सारे कामों को समितियां निपटाती हैं, जिन्हें संसदीय समितियां कहा जाता है.

ज्वॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संयुक्त संसदीय समिति भी इसी मकसद से गठित की जाती है. इसे संयुक्त संसदीय समिति इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों सदनों- लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं.

संसदीय समितियों का गठन संसद ही करती है. ये समितियां संसद के अध्यक्ष के निर्देश पर करती हैं और अपनी रिपोर्ट संसद या अध्यक्ष को सौंपती हैं.

जेपीसी की संरचना कैसी होती है?

जेपीसी की संरचना जेपीसी में सदस्यों की संख्या अलग-अलग मामलों में भिन्न हो सकती है. इसमें अधिकतम 30-31 सदस्य हो सकते हैं, जिसका अध्यक्ष बहुमत वाली पार्टी के सदस्य को बनाया जाता है. लोकसभा के सदस्य राज्यसभा की तुलना में दोगुने होते हैं. उदाहरण के लिए यदि संयुक्त संसदीय समिति में 20 लोकसभा सदस्य हैं तो 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे और जेपीसी के कुल सदस्य 30 होंगे.

इसके अलावा समिति में सदस्यों की संख्या भी बहुमत वाली पार्टी की अधिक होती है. किसी भी मामले की जांच के लिए समिति के पास अधिकतम 3 महीने की समयसीमा होती है. इसके बाद संसद के समक्ष उसे अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी होती है.

जेपीसी का काम और इसकी ताकत

जेपीसी में दोनों सदनों के सदस्यों को शामिल किया जाता है. समिति के सदस्यों की संख्या तय नहीं है. लेकिन फिर भी इसका गठन इस तरह से किया जाता है, ताकि सभी राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले.

आमतौर पर संयुक्त संसदीय समिति में राजस्यसभा की तुलना में लोकसभा से दोगुने सदस्य होते हैं. इनके पास किसी भी माध्यम से सबूत जुटाने का हक होता है. किसी भी मामले से जुड़े दस्तावेज मांग सकती है, किसी भी व्यक्ति या संस्था को बुलाकर पूछताछ कर सकती है.

अगर कोई व्यक्ति या संस्था जेपीसी के सामने पेश नहीं होता है तो इसे संसद की अवमानना का उल्लंघन माना जाता है. इसे लेकर जेपीसी उस व्यक्ति या संस्था से लिखित या मौखिक जवाब मांग सकती है.

कैसे करती है काम?

संसद की ओर से जेपीसी का गठन किया जाता है और कुछ प्वॉइंट्स भी बताए जाते हैं, जिनकी जांच की जाती है. अगर मामला किसी बिल को लेकर हो तो उस पर बिंदुवार चर्चा होती है. जेपीसी की जांच और चर्चा में अलग-अलग सहयोगियों, विशेषज्ञों और इच्छुक समूहों को आमंत्रित किया जाता है. तकनीकी सलाह के लिए तकनीकी विशेषज्ञों को भी नियुक्त किया जाता है. इसके अलावा कुछ मुद्दों पर आम जनता से भी सलाह ली जाती है.

पूरा सिस्टम रखा जाता है गोपनीय

इसके काम करने का पूरा सिस्टम गोपनीय रखा जाता है. लेकिन इसके अध्यक्ष समय-समय पर मीडिया को जानकारी देते रहते हैं. जनहित से जुड़े मुद्दों को छोड़कर बाकी सभी मामलों की रिपोर्ट को भी गोपनीय रखा जाता है. इसके अलावा किसी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने या न करने का अंतिम फैसला सरकार के ऊपर रहता है. एक बार जांच रिपोर्ट संसद में पेश हो जाने के बाद जेपीसी का अस्तित्व खत्म हो जाता है.

संसद में कब-कब की गई जेपीसी की मांग

जेपीसी जांच को लेकर कई बार मांग की जा चुकी हैं. अभी हाल में जब लोकसभा चुनावों का रिजल्ट आया था तो उसके ठीक बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शेयर मार्केट क्रैश को लेकर जेपीसी जांच की मांग की थी. राहुल गांधी ने कहा कि एग्जिट पोल के बाद अगले दिन शेयर बाजार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन अगले ही दिन 4 जून को नतीजे वाले दिन शेयर मार्केट खटाक से अंडरग्राउंड में चला गया. उन्होंने कहा कि मार्केट में गिरावट से 30 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. ये पैसा पांच करोड़ रिटेल इन्वेस्टर्स का था. उन्होंने इस पूरे मामले की जेपीसी से जांच कराने की मांग की थी.

पहली बार बोफोर्स घोटाले के बाद अस्तित्व में आई जेपीसी : जेपीसी के गठन का इतिहास भी दिलचस्प रहा है. सबसे पहली बार जेपीसी अस्तित्व में तब आई थी, जब देश में बोफोर्स घोटाला सामने आया था और इसे लेकर तत्कालीन राजीव गांधी सरकार चौतरफा घिर गई थी. इसी दौरान सबसे पहले जेपीसी का गठन साल 1987 में किया गया.

GOOD NEWS!

NCERT

FOUNDATION BATCH

REOPEN

OFFER FEE 4999 Rs

LIMITED OFFER

REGISTRATION START

1.SUBJECTS TO BE TAUGHT (NCERTS FROM CLASS 6TH-12TH)

2.SUBJECTS: GEOGRAPHY, POLITY, HISTORY, INDIAN ECONOMY,

3. LIVE LECTURES DELIVERED IN HINGLISH LANGUAGE BY ANKIT AVASTHI SIR.

4.SPECIAL EMPHASIS ON CONCEPTUAL CLARITY IN CLASSES.

5.ALIGNMENT WITH UPSC AND STATE PSC PATTERN:

6.UNIT WISE WEEKLY TESTS THROUGH UNIQUE WORK BOOK STYLE

BY ANKIT AVASTHI SIR

FOR UPSC & VARIOUS STATE PSC EXAM

Apni Pathshala
LAUNCHING
UP PSC
TEST SERIES
299/- ONE YEAR
EXAM DATE
27th October 2024
By Ankit Avasthi Sir

TEST

UP PSC

TEST SERIES

299/- ONE YEAR

Features

- 35+ Mock Test
- 180+ Topic wise test
- 40+ PYQ’s
- 60 + Current Affairs

By Ankit Avasthi Sir

Apni Pathshala
LAUNCHING
TEST
BPSC
TEST SERIES
299/- ONE YEAR
• 50+ Mock Test
• 10+ Topic wise test
• 30+ PYQ's
• 65 + Current Affairs
Buy Now!
By Ankit Avasthi Sir

Apni
Pathshala
LAUNCHING
TEST
RO/ARO
TEST SERIES
299/- ONE YEAR
• 30+ Mock Test
• 13+ Sectional test
• 8+ PYQ's
• 60 + Current Affairs
Buy Now!
By Ankit Avasthi Sir

Apni
Pathshala
UP POLICE बनने का सपना होगा साकार !
NEW
LAUNCHING
Test Series
UP POLICE EXAM
FEATURES
20 Mock Test
8+ PYQ's
21 Sectional Test
65+ Current Affairs Test
10 Practice Test
25+ Topic Wise Test
BUY NOW!
99/-
for ONE YEAR
By Ankit Avasthi Sir

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

6 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

→ सिन्धु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतीय क्षेत्र में बोखर चू हिमनद से होता है।
→ तिब्बत में इस नदी को सिंगी खंबान कहते हैं।
→ यह दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है।
→ यह नदी भारत में लद्दाख तथा जास्कर श्रेणी के बीच बहती है।
→ पाकिस्तान में यह अटक (Attock) नामक स्थानों पर मैदानों में प्रवेश करती है।
→ पाकिस्तान में करांची के पास डेल्टा बनाते हुए यह अरब सागर में गिरती है।
→ सिंधु नदी की दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदियाँ :- श्योक, नुब्रा, हुनजा, गिलगिट, स्वात, काबुल तथा गोमल
→ इसकी प्रमुख बायें हाथ की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ट्रांस तथा जास्कर
पंचनद
→ सिंधु से पचंनद पाक में मिठानकोट नामक स्थान पर मिलती है।
→ 'लेह' सिंधु नदी के किनारे स्थित है।

पंचनद

i) झेलम :- इस नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में

बेरिनाग झील से होता है।
* यह नदी वूलर झील का निर्माण करती है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
→ इस नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है।
→ किशनगंगा इसकी दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदी है।
→ इस नदी पर तुलबुल परियोजना प्रस्तावित है। यह एक नौविहन परियोजना है।
→ यह नदी भारत तथा पाकिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है।

ii) चिनाब :- चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में बारालच्चा दर्रे के पास चन्द्र तथा भागा नदियों के मिलने (confluence) से होता है।
→ J & K में इस नदी पर जल विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ स्थित हैं।
उदाहरण :- दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार
→ यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है।

iii) रावी :- रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश में होता है।
→ हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर चमेरा बाँध स्थित है।
→ पंजाब में इस नदी पर थीन परियोजना स्थित है।

₹

1999

CALL CENTRE

HOW MAY I HELP YOU

7878158882

AnkitInspiresIndia

Download "Apni Pathshsla" app now!

Follow us:

3

PARIS 2024

PARIS 2024
CHOPRA

PARIS 2024
PARIS 2024
CHOPRA
Neeraj
Chopra
Silver Medal

PARIS 2024
HOCKEY
BR
NZE
FOR INDIA
INDIA
NDTV

PARIS 2024
THE SPORTZ PLANET
INDIA

SOMETHING'S
WRONG

Top stories

Javelin thrower Neeraj Chopra in Paris ›

Business Standard

Paris Olympics 2024 Highlights Day 13: Neeraj secures silver; Aman to aim for…

20 hours ago

The Economic Times

Neeraj Chopra Olympics 2024 highlights: Golden boy Neeraj Chopra settles for…

3 hours ago

Hindustan Times

'Neeraj Chopra was injured. Today was Pakistan's day': World Champion's parent…

1 hour ago

India vs Spain men's hockey bronze medal match ›

Paris 2024 Olympics

Paris 2024 Olympics hockey: India ride Harmanpreet brace again…

12 hours ago

NDTV Sports

India vs Spain Highlights, Men's Hockey Bronze Medal Match, Olympics 2024 - 1…

12 hours ago

Top stories

News about Antim Panghal >

Hindustan Times

Antim Panghal, who took Vinesh's original 53kg weight category in Olympics, loses i…

1 day ago

The Guardian

Indian wrestler Antim Panghal's sister held by police after using…

25 minutes ago

Times of India

Wrestler Antim Panghal and team to be deported from Paris for disciplinary brea…

1 day ago

The Indian Express

Wrestler Antim Panghal faces deportation trying to 'smuggle' sister into Gam…

1 day ago

Moneycontrol

Vinesh Phogat and Antim Panghal fiascos an object lesson in how not to prepa…

1 day ago

नीरज
89.45 m
JSW
PARIS 2024
CHOPRA

नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलिंपिक के जेवलिन थ्रो इवेंट में भारत को सिल्वर मेडल जिता दिया है। 26 साल के नीरज ने 89.45 मीटर दूर भाला फेंका और दूसरा स्थान हासिल किया। इसी के साथ नीरज लगातार दो ओलिंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे ही प्लेयर बने। नीरज से पहले रेसलर सुशील कुमार और शटलर पीवी सिंधु ने लगातार दो ओलिंपिक में मेडल जीते थे।

पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 92.97 मीटर दूर भाला फेंका और ओलिंपिक रिकॉर्ड बनाया। अरशद के 2 थ्रो 90 मीटर से ज्यादा के रहे। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर दूर भाला फेंक कर ब्रॉन्ज मेडल जीता।

पाकिस्तानी दोस्त से पहली बार हारे

भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम 2016 से जूनियर लेवल पर एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। दोनों में तब से ही गहरी दोस्ती है। 2016 के साउथ एशियन गेम्स में नीरज पहले और नदीम तीसरे नंबर पर रहे। टोक्यो ओलिंपिक तक दोनों 7 बार भिड़े, हर बार नीरज ने बाजी मारी। टोक्यो में नदीम 5वें नंबर पर रहे थे।

पेरिस ओलिंपिक से पहले दोनों वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 बार आमने-सामने हुए। 2022 में नीरज दूसरे और नदीम 5वें नंबर पर रहे। 2023 में नदीम करीब पहुंचे और दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन यहां भी नीरज ने बाजी मारी और पहला स्थान हासिल कर लिया।

पेरिस ओलिंपिक में नदीम और नीरज दोनों का पहला प्रयास फाउल रहा। दूसरे अटेम्प्ट में नदीम ने ओलिंपिक रिकॉर्ड तोड़ा और 92.97 मीटर दूर भाला फेंककर मेडल कन्फर्म कर लिया। नीरज ने अपने दूसरे अटेम्प्ट में 89.45 मीटर की दूरी तय की और सेकेंड पोजिशन हासिल की। इसके बाद नीरज के सभी थ्रो फाउल रहे।

नीरज चोपड़ा

फाउल ●
पहला अटेम्प्ट

89.45 मीटर ●
दूसरा अटेम्प्ट

फाउल ●
तीसरा अटेम्प्ट

फाउल ●
चौथा अटेम्प्ट

फाउल ●
पांचवां अटेम्प्ट

फाउल ●
छठा अटेम्प्ट

नदीम को 9 बार हराया, 10वीं बार बाजी पलटी

नदीम ने अपना आखिरी थ्रो भी रिकॉर्ड तोड़ फेंका और 91.79 मीटर की दूरी तय कर ली। नीरज चोपड़ा से लगातार 9 बार हारने के बाद अरशद नदीम ने सबसे बड़े इवेंट में हिसाब बराबर किया और ओलिंपिक रिकॉर्ड के साथ पाकिस्तान को पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल भी दिलाया। अरशद फिलहाल 27 और नीरज 26 साल के हैं, यानी दोनों के बीच 2028 के लॉस एंजिल्स ओलिंपिक में भी भिड़ंत देखने को मिल सकती है।

ओलिंपिक में नीरज चोपड़ा

87.58 मीटर

टोक्यो 2020

गोल्ड

89.45 मीटर

पेरिस 2024

सिल्वर

नीरज चोपड़ा

2020

टोक्यो

ओलिंपिक मेडल जीतने वाले भारत के पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, गोल्ड जीता

2022

ओरेगोन

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय

2022

स्टॉकहोम

डायमंड लीग में 89.94 मीटर थ्रो फेंका, नेशनल रिकॉर्ड बनाया।

2016

पोलैंड

अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय, 86.48 मीटर थ्रो फेंका

2016

पोलैंड

अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले भारत के पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट

2018

जकार्ता

एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय

2022

लुसाने

डायमंड लीग मीट जीतने वाले पहले भारतीय

2022

ज्यूरिख

डायमंड लीग चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय

2023

बुडापेस्ट

वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय

2024

पेरिस ओलिंपिक

लगातार 2 ओलिंपिक मेडल जीतने वाले तीसरे भारतीय

Narendra Modi
@narendramodi

Neeraj Chopra is excellence personified! Time and again he's shown his brilliance. India is elated that he comes back with yet another Olympic success. Congratulations to him on winning the Silver. He will continue to motivate countless upcoming athletes to pursue their dreams and make our nation proud.

@Neeraj_chopra1

1:28 AM · Aug 9, 2024 · **2.7M** Views

ANI_HindiNews
@AHindinews

#WATCH पेरिस: पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले शीर्ष भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कहा, "प्रतियोगिता शानदार थी। हर खिलाड़ी का अपना दिन होता है, आज अरशद का दिन था। टोक्यो, बुडापेस्ट, एशियाई खेलों का अपना दिन था... मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान देने और काम करने की जरूरत है...हमारा राष्ट्रगान आज भले ही नहीं बजाया गया हो, लेकिन भविष्य में कहीं और जरूर बजाया जाएगा।"

6:31 AM · Aug 9, 2024 · **9,247** Views

ANI

Ihtisham Ul Haq
@iihtishamm

Neeraj Chopra's mother said, "We are happy with the silver. The one who got the gold (Arshad Nadeem) is also my child."
Thank you, mother, for the beautiful message. 🇮🇳 🇵🇰👏
#OlympicGames

From **Roshan Rai**

2:19 AM · Aug 9, 2024 · **240.3K** Views

Sportwalk media
INDIA@ PARIS 2024
DOUBLE DELIGHT
FOR TEAM INDIA

INDIAN MEN'S HOCKEY TEAM BAGS A BRONZE

भारत ने पेरिस ओलिंपिक में हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराया। गुरुवार को स्पेनिश टीम ने 18वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक पर पहला गोल दागा और 1-0 की बढ़त बनाई।

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 30वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके भारत को 1-1 की बराबरी दिलाई। फिर 33वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके 2-1 की बढ़त हासिल कर ली।

ब्रॉन्ज मेडल मैच में मिली जीत के असल हीरो अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश और फर्स्ट रशर अमित रोहिदास रहे।

PARIS 2024
PARIS 2024
TEAM INDIA
INDIA

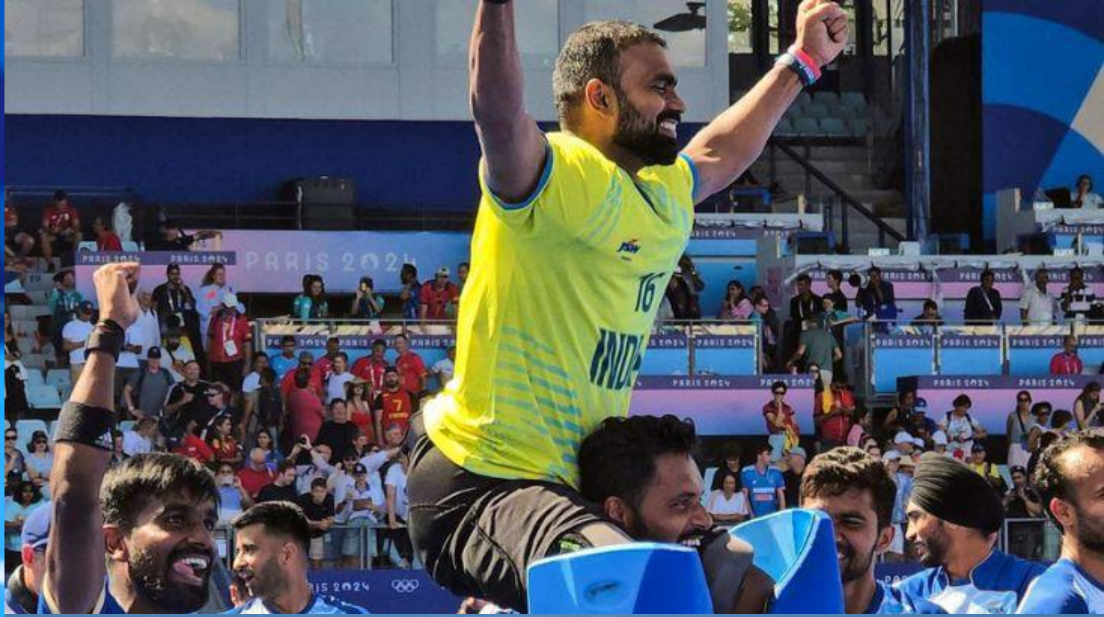
PARIS 2024
16
INDIA

SREEJESH
OUR WALL
HARMANPREET
OUR SOUL
SREEJESH
16

स्पेन के खिलाफ प्लेऑफ मुकाबले में भारत की जीत के हीरो कप्तान हरमनप्रीत सिंह रहे. उन्होंने मैच में दो गोल किए. इस जीत के साथ ही भारत ने अपने दिग्गज गोलकीपर पीआर श्रीजेश को ओलंपिक मेडल से विदाई दी. भारत की दीवार कहे जाने वाले पीआर श्रीजेश ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि यह उनका आखिरी मैच है. इस जीत के साथ ही उन्होंने संन्यास ले लिया है.

पहले क्वार्टर में नहीं हुआ गोल

भारत और स्पेन के बीच पहले क्वार्टर में जोरदार टक्कर हुई. दोनों टीमों ने एकदूसरे पर हमले किए लेकिन गोल कोई नहीं कर सका. आखिरकार पहला क्वार्टर 0-0 की बराबरी पर खत्म हुआ है.

स्पेन ने पेनाल्टी स्ट्रोक पर दागा पहला गोल

स्पेन ने मैच का पहला गोल किया. स्पेनिश टीम को दूसरे क्वार्टर के तीसरे मिनट में पेनाल्टी स्ट्रोक मिला. स्पेन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और गोल करके भारत पर 1-0 की बढ़त बना ली. स्पेन की ओर से मार्को मिरालेस ने गोल किया.

भारत ने दूसरे क्वार्टर में दागा गोल

भारत ने दूसरे क्वार्टर के आखिरी मिनट में बराबरी का गोल दागा. कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनाल्टी कॉर्नर पर गोलकर 30वें मिनट में भारत को बराबरी दिलाई. जब हॉफ टाइम हुआ तो स्कोर 1-1 से बराबर था.

भारत 2-1 से आगे हुआ

भारत ने तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में गोल कर मैच में बढ़त बना ली. भारत ने यह गोल भी पेनाल्टी कॉर्नर से किया. एक बार फिर कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर भारत को 2-1 से आगे कर दिया. भारत ने 33वें मिनट में गोल दागा.

भारत ने लीड लेने के बाद मैच पर अपनी पकड़ बनाए रखी. टीम इंडिया भले ही और गोल नहीं कर सकी, लेकिन उसने स्पेन को भी गोल नहीं करने दिया. स्पेन ने समय निकलता देख आखिरी तीन मिनट में अपने अपने गोलकीपर को भी बाहर भेज दिया. उसने इसके बाद ऑलआउट अटैक किया. एक समय तो भारतीय हॉफ में स्पेन के 11 खिलाड़ी नजर आ रहे थे. लेकिन भारतीय डिफेंडर्स ने स्पेन को बराबरी का कोई मौका नहीं दिया.

पेरिस ओलिंपिक 2024 : मेडल टैली

रैंक		गोल्ड	सिल्वर	ब्रॉन्ज	कुल
63	भारत	0	1	4	5
1	अमेरिका	30	38	35	103
2	चीन	28	25	19	72
3	ऑस्ट्रेलिया	18	14	13	45
4	फ्रांस	14	18	21	53
5	ब्रिटेन	13	17	21	51

Ankit Kumar Avasthi
@kaankit

सूबेदार मेजर नीरज चोपड़ा- हिंद का सितारा!🇮🇳

भारत का सबसे भरोसेमंद एथलीट!

जब भी भाला फेंका, तिरंगा पोडियम पर लहराया.

लगातार दो ओलंपिक में 2 पदक 🥇🥈

रजत पदक के लिए हार्दिक बधाई एवं भविष्य के लिए शुभकामनाएं!!

#NeerajChopra
#Paris2024 🗼
#javlinthrow
Translate post

Ankit Kumar Avasthi
@kaankit

ओलंपिक के मंच पर एक बार और तिरंगा लहराया!! 🇮🇳

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर #ParisOlympics2024 में कांस्य पदक जीता।

#TeamIndia को इस शानदार जीत के लिए बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं !

#Hockey 🏑
#Paris2024 🗼
Translate post

TATA MOTORS
YODHA

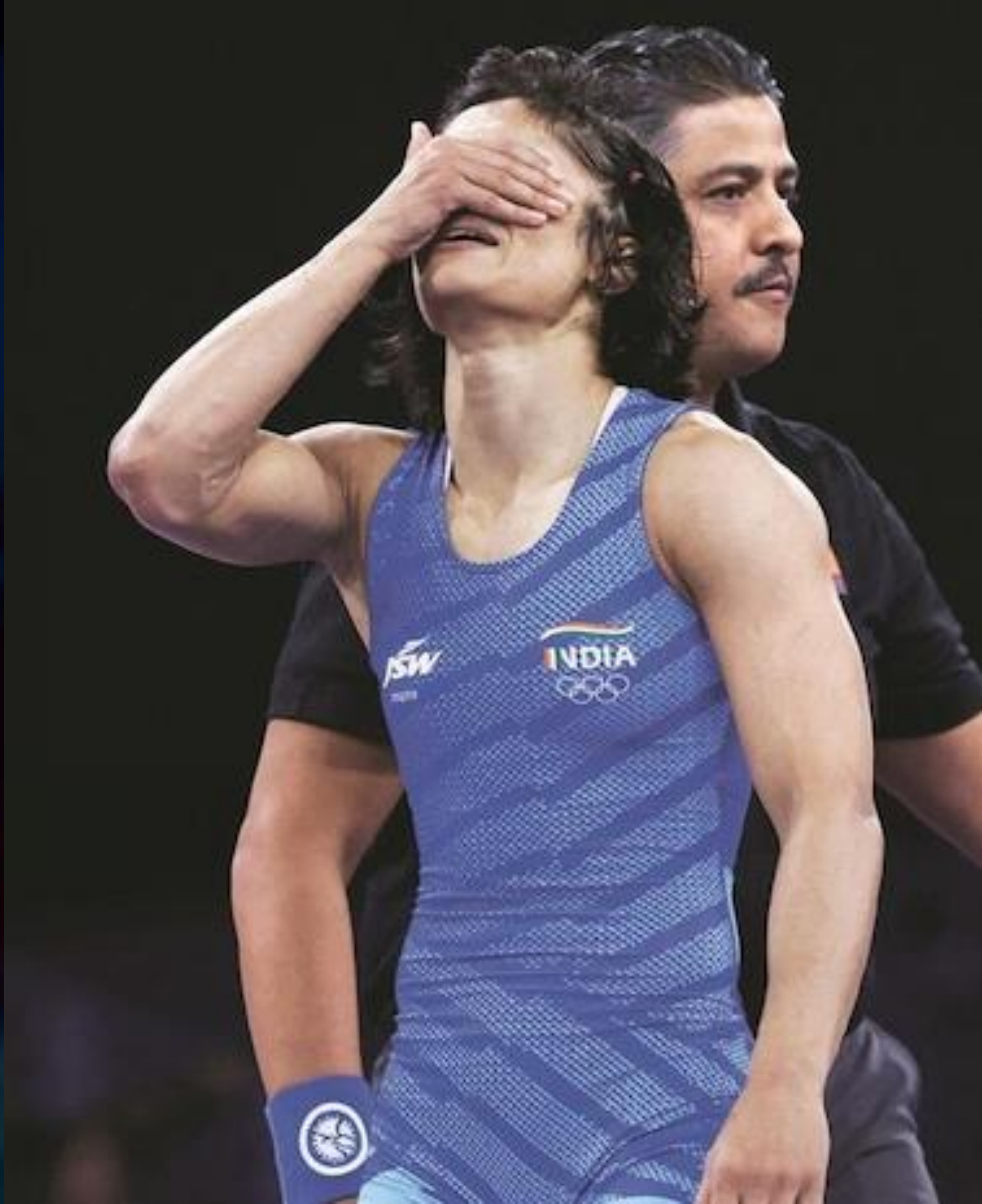
JSW
INDIA

JSW

पेरिस ओलिंपिक में हरियाणा की पहलवान अंतिम पंघाल विवादों में हैं। उनकी बहन को पुलिस ने ओलिंपिक विलेज में घूमते हुए पकड़ा है। पुलिस को उसके पास से अंतिम का आई कार्ड भी मिला, जिसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वहां अंतिम और उनकी बहन के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद इन दोनों को पेरिस छोड़ने का आदेश दिया गया। इस मामले में अब अंतिम ने एक वीडियो जारी कर पूरी बात बताई है।

अंतिम पंघाल का जन्म 31 अगस्त 2004 को हरियाणा के हिसार जिले के भगाना गांव में हुआ था। वह राम निवास पंघाल और कृष्णा कुमारी की पांच संतानों में से दूसरी सबसे छोटी संतान हैं। पंघाल परिवार की सबसे छोटी लड़की हैं। सरिता, मीनू और निशा, अंतिम की बड़ी बहनें हैं, जबकि भाई अर्पित, अंतिम के दो साल बाद पैदा हुआ, जो सबसे छोटा है।

अंतिम का ध्यान कुश्ती की ओर खींचने में राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी सरिता का बड़ा योगदान था। जब अंतिम सिर्फ 10 साल की थी, तब सरिता उन्हें कुश्ती कार्यक्रम के लिए हिसार शहर के महावीर स्टेडियम में ले गई थीं। जहां अंतिम ने इस खेल को पूरी लगन और निष्ठा के साथ अपनाया। लेकिन पिता राम निवास शुरुआत में असंमजस में थे। हालांकि, अंतिम की कोच रोशनी देवी के लगातार अनुरोध के बाद राम निवास आख़िर में मान गए और हर तरह से उनका साथ दिया।

शुरुआत में वह अभ्यास के लिए अंतिम और सरिता के साथ रोजाना 20 किमी का सफर करके हिसार शहर के महावीर स्टेडियम जाते थे। राम निवास ने अपने परिवार को धीरे-धीरे वहां स्थानांतरित करने से पहले दोनों बहनों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के पास रहने की व्यवस्था की।

आख़िरकार उन्होंने शहर में अपना एक घर बनाया, जिसमें पालतू जानवरों के रहने की भी व्यवस्था थी। राम निवास ने द हिंदू को बताया, “भैंसों को नहीं छोड़ा जा सकता था। अगर मेरी बेटी को कुश्ती लड़नी थी, तो उसे सबसे अच्छा आहार भी मिलना जरूरी था और मुझे शहरों में मिलने वाले दूध पर बिल्कुल भरोसा नहीं था।”

अंतिम पंघाल के अचीवमेंट

2022
अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप
गोल्ड

2023
एशियन गेम्स
ब्रॉन्ज

2023
सीनियर एशियन चैंपियनशिप
सिल्वर

2023
अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप
गोल्ड

2024
UWW रैंकिंग सीरीज
सिल्वर

अंतिम पंघाल

प्री क्वार्टर फाइनल
से बाहर

गेम
रेसलिंग
(53kg)

ट्रेनिंग
स्पोर्ट्स अथॉरिटी
ऑफ इंडिया,
हिसार

पर्सनल कोच
भगत सिंह, विकास सिंह

अवॉर्ड्स
अर्जुन अवॉर्ड (2022)

जन्म
31 अगस्त
2004 (भगाना,
हरियाणा)

माता-पिता
(कृष्णा कुमारी -
रामनिवास
पंघल)

एजुकेशन
फिजिकल एजुकेशन
में डिग्री, हरियाणा
यूनिवर्सिटी

पहलवान अंतिम पंघाल का 7 अगस्त को पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की फ्रीस्टाइल 53 किलोग्राम कुश्ती इवेंट थी. जिसमें उन्हें राउंड ऑफ 16 में हार का सामना करना पड़ा. 53 किलोग्राम भारवर्ग में खेलने उतरी इस खिलाड़ी को पहले ही मुकाबले में विरोधी ने चारो खाने चित कर दिया.

अंतिम पंघाल ने इस बार पेरिस ओलंपिक में 53 किलोग्राम भारवर्ग में जगह बनाई थी. यह वही भारवर्ग है जिसमें पिछली बार विनेश फोगाट खेलने उतरी थी. बताया जा रहा है अंतिम की वजह से ही विनेश को अपना भारवर्ग बदलना पड़ा था.

इसके बाद अंतिम पंघाल से जुड़ा एक विवाद सामने आया. जिसे लेकर भारतीय ओलंपिक संघ (IOC) से शिकायत की गई. यह शिकायत अंतिम पंघाल और उनकी पूरी टीम से जुड़ी थी. जो फ्रांस के अधिकारियों ने की थी. इस विवादित घटना के बाद उनकी और उनकी पूरी टीम की ओलंपिक विलेज की मान्यता रद्द कर दी गई और सभी को वापस भारत भेज दिया गया.

Antim Panghal

Indian professional wrestler

Overview | Interviews | Olympic events | Olympic r

2024 Olympics

Women's Freestyle 53kg

Wed, 7 Aug · 1/8 Final — Completed

Z. Yetgil	10(SUP)
A. Panghal	0

More info on olympics.com · All times are in India Standard Time

क्या है पूरा मामला?

अंतिम पंगाल ने अपनी बहन को ओलंपिक विलेज में प्रवेश कराने के लिए अपनी मान्यता (अक्रीडिटेशन) को इस्तेमाल करने के लिए दिया था. जब यह बात फ्रांसीसी अधिकारियों के ध्यान में आई, तो उन्होंने इस मामले की शिकायत आईओए से की.

सूत्रों के मुताबिक, उनकी बहन ने अंतिम पंघाल के तौर पर ओलंपिक विलेज में घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया. इसके बाद बहन को पुलिस के हवाले कर दिया गया और आईओए को इसकी सुचना भेजी गई. आईओए ने पुलिस से बहन को थाने में न रोकने का अनुरोध किया, इसके बाद उसे वापस होटल भेज दिया गया. हालांकि, अब अनुशासन उल्लंघन के कारण पूरी टीम पेरिस से भारत लौट रही है.

आईओए के बयान के अनुसार- "अंतिम पंघाल ने अपनी बहन को अपनी मान्यता सौंप दी थी, जो खेल गांव में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी. फ्रेंच अधिकारियों की शिकायत के बाद, पूरे दल को भारत भेजने का निर्णय लिया गया."

नशे की हालत में पकड़े गए

पेरिस ओलंपिक में भाग ले रही पहलवान अंतिम को मामला सामने आने पर पुलिस ने बयान दर्ज कराने बुलाया था. सबसे शर्मनाक बात यह कि अंतिम के निजी सहयोगी स्टाफ विकास और कोच भगत को कथित तौर पर नशे में कैब में यात्रा करने के बाद किराया देने से मना कर दिया. कैब ड्राइवर ने पुलिस को वहां बुलाया तो सारा मामला सामने आया.

Press Trust of India
@PTI_News

VIDEO | There has been a disciplinary action against wrestler Antim Panghal at the ongoing Paris Olympics. The wrestler has issued her side of the story in a video:

"I had come here to Olympics, there was a bout yesterday. I got defeated. It is wrong that police had taken me. When I was defeated, I caught fever. I sought permission to visit my sister at hotel. The permission was given. I went to the hotel. I wanted my luggage that was kept at the village. Then my sister went to the village with my accreditation card. She asked for my luggage. They took my accreditation card and took her to police station for the verification. They are saying that the coach fought with cab driver. But it was not so. We had booked his cab, he came to the hotel. He told the driver that he did not have the Euro and hence came to the room to take Euro to pay him. It led to an altercation but not like it is being talked."

JSW
Inspire
INDIA

Team India @WeAreTeamIndia

IMPORTANT: IOA refutes reports that a ban has been imposed on wrestler Antim. It requests media persons to please check with the IOA leadership before posting such reports.

Press Trust of India @PTI_News · 16h

Wrestler Antim Panghal to be banned for three years by IOA for indiscipline during Olympic Games: Source in Indian contingent

Readers added context

Official IOA handle @WeAreTeamIndia has refuted the news and requested media channels to verify the claims with IOA leadership before reporting. No such ban or disciplinary action has been imposed on Antim Panghal so far.
x.com/weareteamindia...

Do you find this helpful? Rate it

3:48 PM · Aug 8, 2024 · **34.2K** Views

JSW
INDIA
CUB

Vinesh Phogat's plea against Olympic disqualification accepted, hearing on Friday

Paris Olympics 2024: Vinesh Phogat's plea against Olympic disqualification was accepted by the ad-hoc panel of the Court of Arbitration for Sport on Thursday. The hearing has been scheduled for 10 am local time in Paris on Friday, August 9.

Listen to Story

Share

ADVERTISEMENT

India's top lawyer Harish Salve to represent IOA in Vinesh Phogat's CAS hearing today

ANI | Updated: Aug 09, 2024 06:50 IST

New Delhi [India], August 9 (ANI): Harish Salve, a renowned Indian lawyer, will represent the Indian Olympic Association (IOA) in the Court of Arbitration for Sport (CAS) hearing on Friday, regarding the disqualification of wrestler Vinesh Phogat from the Paris Olympics.

Salve's expertise will be crucial in addressing the legal and procedural aspects of the dispute.

Salve, former Solicitor General of India and King's Counsel, confirmed to ANI that he has been engaged by the IOA to represent Phogat at the Court of Arbitration for Sport (CAS).

The ad hoc hearing at CAS is scheduled to start at 9:00 AM Paris time (12:30 PM IST).

The CAS has established an ad hoc division in Paris, led by President Michael Lenard from the US, to handle cases during the Olympics. This division is located within the Paris judicial court in the 17th arrondissement.

GOOD NEWS!

NCERT

NCERT FOUNDATION BATCH

OFFER FEE 4999 Rs

Pathshala

REOPEN

LIMITED OFFER

REGISTRATION START

1. SUBJECTS TO BE TAUGHT (NCERTS FROM CLASS 6TH-12TH)
2. SUBJECTS: GEOGRAPHY, POLITY, HISTORY, INDIAN ECONOMY,
3. LIVE LECTURES DELIVERED IN HINGLISH LANGUAGE BY ANKIT AVASTHI SIR.
4. SPECIAL EMPHASIS ON CONCEPTUAL CLARITY IN CLASSES.
5. ALIGNMENT WITH UPSC AND STATE PSC PATTERN:
6. UNIT WISE WEEKLY TESTS THROUGH UNIQUE WORK BOOK STYLE

BY ANKIT AVASTHI SIR

FOR UPSC & VARIOUS STATE PSC EXAM

Apni Pathshala

LAUNCHING

UP PSC
TEST SERIES

299/- ONE YEAR

EXAM DATE
27th October 2024

By Ankit Avasthi Sir

UP PSC

TEST SERIES

299/- ONE YEAR

Features

- 35+ Mock Test
- 180+ Topic wise test
- 40+ PYQ’s
- 60 + Current Affairs

By Ankit Avasthi Sir

Apni
Pathshala
LAUNCHING
TEST
BPSC
TEST SERIES
299/- ONE YEAR
• 50+ Mock Test
• 10+ Topic wise test
• 30+ PYQ's
• 65 + Current Affairs
Buy Now!
By Ankit Avasthi Sir

Apni
Pathshala
LAUNCHING
TEST
RO/ARO
TEST SERIES
299/- ONE YEAR
• 30+ Mock Test
• 13+ Sectional test
• 8+ PYQ's
• 60 + Current Affairs
Buy Now!
By Ankit Avasthi Sir

Apni
Pathshala
UP POLICE बनने का सपना होगा साकार !
NEW
LAUNCHING
Test Series
UP POLICE EXAM
FEATURES
20 Mock Test
8+ PYQ's
21 Sectional Test
65+ Current Affairs Test
10 Practice Test
25+ Topic Wise Test
BUY NOW!
99/-
for ONE YEAR
By Ankit Avasthi Sir

GA FOUNDATION
Hand Written Notes
Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर
Ankit Inspires India
₹ Only 1999
6 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट
भारतीय भूगोल
भौतिक तथा विश्व भूगोल
भारत तथा विश्व की अर्थव्यवस्था
भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था
प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत का इतिहास, कला एवं संस्कृति
आधुनिक भारत एवं विश्व का इतिहास
Ankit Kumar Avasthi
अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....
7878158882

→ सिन्धु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतीय क्षेत्र में बोखर चू हिमनद से होता है।
इसे तिब्बत में इस नदी को सिंगी खंबान कहते हैं।
→ यह दमचोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है।
→ यह नदी भारत में लद्दाख तथा जास्कर श्रेणी के बीच बहती है।
→ पाकिस्तान में यह अटक (Attock) नामक स्थानों पर मैदानों में प्रवेश करती है।
→ पाकिस्तान में कराँची के पास डेल्टा बनाते हुए यह अरब सागर में गिरती है।
→ सिंधु नदी की दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदियाँ :- श्योक, नुब्रा, हुनजा, गिलगिट, स्वात, काबुल तथा गोमल
→ इसकी प्रमुख बायें हाथ की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब रावी, व्यास, सतलज, ट्रांस तथा जास्कर
पंचनद
→ सिंधु से पंचनद पाक में मिठानकोट नामक स्थान पर मिलती है।
→ 'लेह' सिंधु नदी के किनारे स्थित है।

पंचनद
i) झेलम :- इस नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में

बेरिनाग झील से होता है।
* यह नदी वूलर झील का निर्माण करती है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
→ इस नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है।
→ किशनगंगा इसकी दायें हाथ की प्रमुख सहायक नदी है।
→ इस नदी पर तुलबुल परियोजना प्रस्तावित है। यह एक नौविहन परियोजना है।
→ यह नदी भारत तथा पाकिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है।

ii) चिनाब :- चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के पास चन्द्र तथा भागा नदियों के मिलने (confluence) से होता है।
→ J & K में इस नदी पर जल विद्युत उत्पादन परियोजनाएँ स्थित हैं।
उदाहरण :- दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार
→ यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है।

iii) रावी :- रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश में होता है।
→ हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर चमेरा बाँध स्थित है।
→ पंजाब में इस नदी पर थीन परियोजना स्थित है।

₹

1999

visit Our Website :-

WWW. apnipathshala.com

1) BPSC Courses
2) RPSC Courses
3) UPPSC Courses
4) RNA And Class Pdf
5) video lecture
6) Daily Current Affairs
7) Inforgraphic
8) Test series , Quiz

WWW. apnipathshala.com

अब तैयारी हुई और आसान

CALL CENTRE

HOW MAY I HELP YOU

7878158882

AnkitInspiresIndia

Download "Apni Pathshsla" app now!

Follow us: